जुलाई-2024 | वर्ष : 08 | अंक : 04 | मूल्य : ₹25/- मात्र

युगांतर प्रकृति

भारत के पूर्वी राज्यों का एकमात्र पर्यावरण मासिक

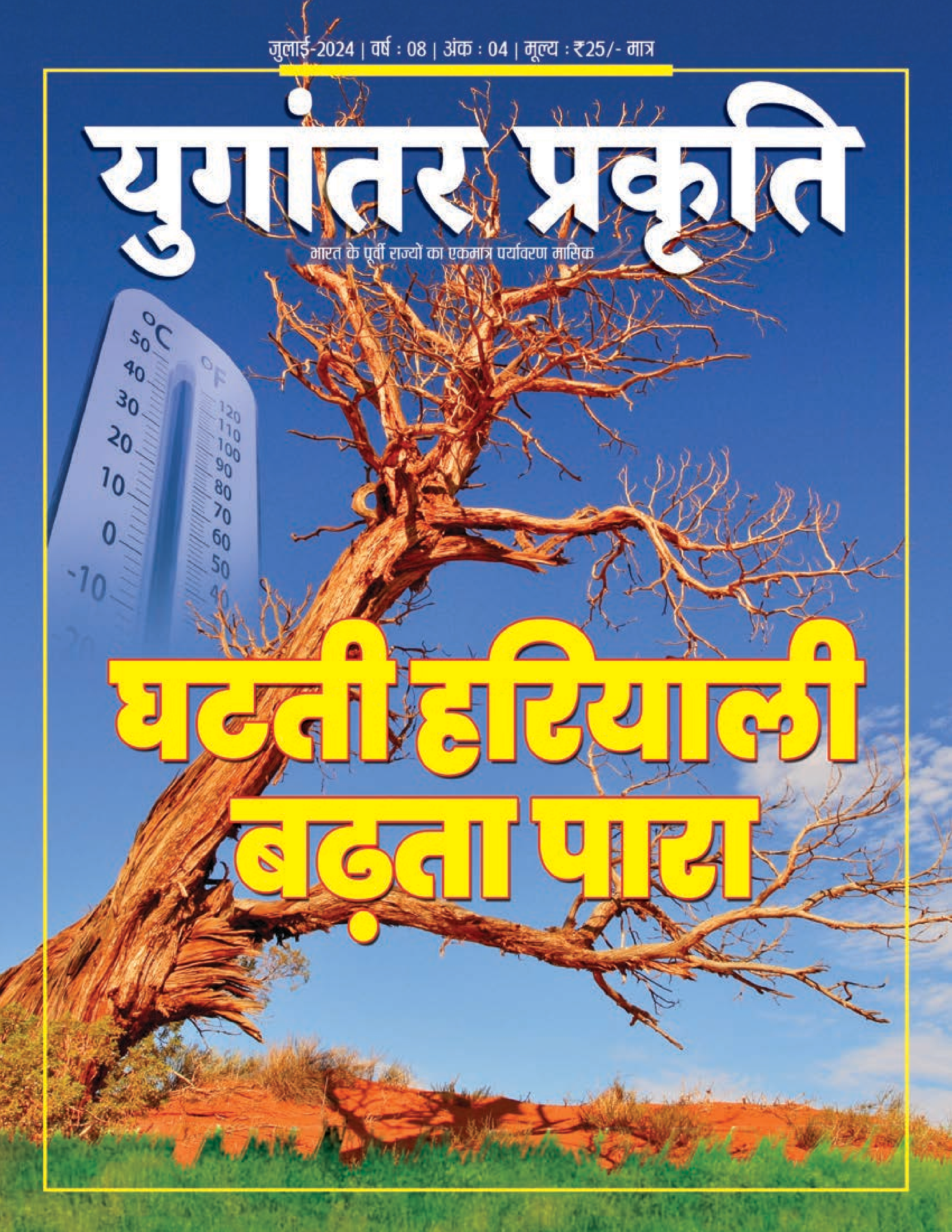

घटती हरियाली बढ़ता पारा

RESIST!
REDUCING SUBSTANCE INGESTION AND STOPPING TRAFFICKING

मादक पदार्थों पर रोक के लिए पूर्णतः संकल्पित झारखण्ड सरकार...

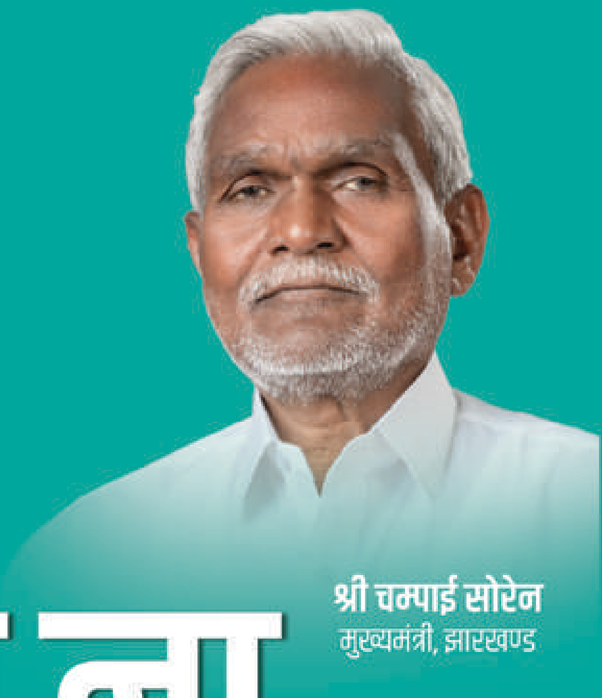

श्री चम्पाई सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

नशे को ना

जिंदगी को हाँ

टोल फ्री नं॰ **112** (24x7) पर कॉल करें

- शिक्षण संस्थानों से **100 मीटर** की परिधि में तम्बाकू निषेध।
- **18 वर्ष से कम आयु** को मादक/नशीले पदार्थ की बिक्री नहीं करें।
- मादक/नशीले पदार्थों की **खरीद-बिक्री** नहीं करनी चाहिए।
- नशीले पदार्थ की **खेती नहीं करें**।
- कानून में **सजा और जुर्माना** का प्रावधान।
- नशीले पदार्थ का **उत्पादन, भंडारण, बिक्री, परिवहन** या **उपयोग** के सहभागी नहीं बनें।
- मादक पदार्थ/अफीम की खेती की सूचना **टोल फ्री नम्बर 112** पर दीजिये।
- ड्रग्स के कारोबार को रोकने के लिए **प्रशासन का साथ** दीजिये।
- आपके द्वारा दी गयी जानकारी पर **त्वरित कार्रवाई** होगी। आपकी **पहचान गुप्त** रखी जायेगी।

नशा से छुटकारे के लिए तुरंत संपर्क करें

रिनपास, राँची	केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, राँची	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर	जिला अस्पताल के आईसीटीसी/एआरटीसी परामर्श केंद्र

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

इस अंक में खास...

4 **घटती हरियाली बढ़ता पारा**

08 **स्पेशल स्टोरी**

वन है तो जीवन है

वन महोत्सव भारत में प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। यह पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन है।

11 **स्पेशल स्टोरी**

संतुलन के लिए जरूरी है वन महोत्सव

जुलाई के पहले सप्ताह (1 से 7 जुलाई) में वनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। यह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है, जिसमें पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है।

14 **बात-बेबात**

40 साल पहले के दौर को याद करें

बहुत ज्यादा नहीं, आज से 40 साल पहले की दुनिया में चलिए। क्या था लोगों के पास। आम आदमी के पास चलने के लिए साइकिल। थोड़े पैसे वाले हुए तो स्कूटर। थोड़े और पैसे वाले हुए तो मोटरसाइकिल।

16 **खबरों में**

दामोदर बचाओ आंदोलन के 20 साल पूरे, नदियों में आया गुणात्मक सुधार

20 **मुद्दा**

चिंताजनक है बढ़ती आबादी

युगांतर प्रकृति

भारत के पूर्वी राज्यों का एकमात्र पर्यावरण मासिक

वर्ष-8, अंक-4, जुलाई-2024 कुल पृष्ठ-36 (आवरण सहित)

मुख्य संरक्षक
सरयू राय

प्रधान संपादक
आनंद सिंह

संपादक
अंशुल शरण

संरक्षक मंडल
राजेन्द्र सिंह, एम.सी. मेहता, प्रो. आर. के. सिन्हा, प्रो. एस. इ. हसनैन, डॉ. आर. एन. शरण, डॉ. आर. के. सिंह

सलाहकार मंडल
डॉ. एम. के. जमुआर, डॉ. दिनेश कुमार मिश्र, डॉ. के. के. शर्मा, डॉ. गोपाल शर्मा, डॉ. ज्योति प्रकाश

डिजाइन आर्टिस्ट
अनवारूल हक

विधि परामर्शी
रवि शंकर (अधिवक्ता)

प्रबंधन
राजेश कुमार सिन्हा

संपादकीय कार्यालय
संपादकीय, सदस्यता एवं विज्ञापन
नेचर फाउंडेशन, सेंट्रल स्कूल के समीप
पो. नामकूम, सिदरौल, रांची, झारखंड, पिन-834010

कोलकाता कार्यालय
ग्राउंड फ्लोर, 131/24, रीजेंट पार्क गवर्नमेंट क्वार्टर, कोलकाता, पिन-700040

पटना कार्यालय
201, दीपराज कॉम्प्लेक्स, आर्य कुमार रोड, दिनकर गोलंबर, पटना 834004

स्वामी, मुद्रक और प्रकाशक **मधु** द्वारा झारखंड प्रिंटर्स प्रा. लि., 6A, गुरुनानक नगर, साकची, **जमशेदपुर** से मुद्रित व नेचर फाउंडेशन, सेंट्रल स्कूल के समीप पो. नामकूम, सिदरौल, **रांची**, झारखंड से प्रकाशित।
आरएनआई नंबर: JHAHIN/2016/68667
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नंबर: RN/248/2016-18

ई-मेल: yugantarprakriti@gmail.com
मोबाइल 7307071539, 9304955301/2

■अपनी बात

■ अंशुल शरण

ये है प्रकृति को निहारने का महीना

जुलाई के महीने को गौर से देखें तो पर्यावरण से जुड़े पांच प्रमुख इवेंट हैं इस माह में। पहला है एक से 7 जुलाई तक चलने वाला वन महोत्सव तो दूसरा है 28 जुलाई को मनाया जाने वाला पर्यावरण (प्रकृति) संरक्षण दिवस। तीसरा इवेंट 3 जुलाई को है, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। चौथा इवेंट है 11 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व जनसंख्या दिवस तो पांचवां प्रमुख इवेंट है 29 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व बाघ दिवस। एक और इवेंट है जो अभी हाल ही में जोड़ा गया है जुलाई माह में और वह है विश्व रेंजर्स दिवस। यह 31 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व रेंजर्स दिवस मनाने का सिलसिला अभी 2007 से ही प्रारंभ हुआ है।

ये जितने भी इवेंट हैं, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हैं। इन सभी इवेंट्स की अपील विश्व मानवता को बचाने के लिए है। दुनिया भर में बाघों की स्थिति कितनी रह गई है, हर किसी को पता है। जहां पहले दुनिया भर के देशों में एक लाख से ऊपर बाघ थे, अब 5000 भी इनकी संख्या नहीं रह गई है। दुनिया के कुल बाघों का 80 प्रतिशत अकेले भारत में है। अंदाजा लगाएं, बाघों को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किस तरह मारा गया है।

प्लास्टिक के बैग कैसे नासूर बन गये हैं, इसका अंदाजा आपको भारत में मरने वाली गायों की संख्या से आसानी से लग सकता है। सड़क पर भ्रमण करने वाली गायें अधिकतर प्लास्टिक खाने से ही मरती हैं। प्लास्टिक के बैग्स पूरे इको सिस्टम के लिए घातक हैं, ये कई शोधों में सामने आ चुका है। इसके बावजूद सिंगल यूज बैग हो या उससे ज्यादा गुणवत्ता वाला, धड़ल्ले से बाजार में चल रहे हैं। शोध बताते हैं कि ये प्लास्टिक बैग्स धरती पर 500 साल भी यूं ही पड़े रहेंगे तो गलेंगे नहीं, खाद नहीं बनेंगे। इनकी आकृति में कोई परिवर्तन भले हो जाए, पर ये नष्ट नहीं होंगे खुद से। हां, आप इन्हें जला सकते हैं लेकिन जलाने से जो कार्बन डाईऑक्साइड और डायोक्सीन गैस निकलती हैं, वो कैंसर को न्यौता देती हैं। इसलिए इन्हें जलाने से मना किया जाता है। मूल है कि इनका उत्पादन ही बंद कर दिया जाए और आम जनता प्लास्टिक के थैले लेने से इनकार कर दे। इन्हीं तथ्यों को जनांदोलन बनाने के लिए हर साल प्लास्टिक बैग के खिलाफ बड़ी रैलियां की जाती हैं, सभाएं और भाषण दिये जाते हैं। यह हम सभी का कर्तव्य है कि प्लास्टिक बैग्स को ना बोलें।

रेंजर्स कौन होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इनकी जिंदगी रोज नई-नई चुनौतियों से दो-चार होती हैं। कहीं शिकारियों के दबदबे को खत्म करने में रेंजर्स को पूरी शक्ति लगानी पड़ती है तो कहीं जानवरों की सुरक्षा में रेंजर्स को अपने प्राणों की आहुति देनी होती है। जंगल से कोई पेड़ काट कर न ले जाए, ये भी रेंजर्स की जिम्मेदारियों में ही है। ऐसे बहुत सारे रेंजर्स हैं, जिन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ऐसे ही रेंजर्स को याद करने के लिए 17 साल पहले, 2007 में विश्व रेंजर्स दिवस मनाना शुरू किया गया। इस दिन हम रेंजर्स को याद करते हैं और उनकी शहादत को नमन।

जुलाई माह के पहले, जून के आखिरी हफ्ते में मॉनसून का प्रवेश अमूमन भारत में हो जाता है। हमें मॉनसून का स्वागत करना चाहिए। मॉनसून अपने साथ अच्छी-बुरी चीजों को लेकर आता है। इसलिए सतर्क और सावधान रहते हुए मॉनसून का आनंद लें, प्रकृति को निहारें और प्रयास करें कि इस प्रकृति ने हमें जो नेमतें दी हैं, उनका सही इस्तेमाल हो।

धरती को तो बचाना ही है...

■ श्वेता

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन, लोग प्रकृति संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। हर दिन सभी लोगों के छोटे से योगदान से, हम धरती को बचा सकते हैं। यह एक दिन है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया है। यह लोगों को सतत जीवन की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को साथ आने और परिवर्तन लाने का एक अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को समझने और जोर देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह दिन हमें ग्रह पर हमारे कार्यों के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए एक स्थायी भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में उपाय करने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर का प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना हमारी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के तरीके खोजने पर जोर देता है। इसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना शामिल है।

हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और लुप्तप्राय और विलुप्त होने वाली प्रजातियां प्रकृति में भारी असंतुलन पैदा कर रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के लिए कि पृथ्वी हमारी प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो, हमें प्रकृति से वार्तालाप शुरू करने की आवश्यकता है। इस दिन, उन प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं जिन्हें हमें ग्रह को बचाने के लिए करने की आवश्यकता है।

ऐसे बचेगी प्रकृति

कार्बन फुटप्रिंट को कम करें

प्रकृति के संरक्षण के लिए सबसे जरूरी है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए। हम सभी कार्बन फुटप्रिंट को अपनी रोजमर्रा के जीवन में बदलाव करके कम कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने से अर्थ है अपनी डेली लाइफ में कार्बन उत्सर्जन वाले कार्यों को कम से कम से करें। जैसे व्हीकल ड्राइविंग, कार्बन पैदा करने वाली ऊर्जा संसाधनों का उपयोग आदि।

जल का संरक्षण करें

जल हमारे सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, लेकिन विडंबना यह है कि इसमें कमी होती जा रही है। अपनी डेली लाइफ में शॉवर के कम इस्तेमाल, वाटर लीक को रोककर आवश्यकतानुसार ही लॉन आदि में पानी का छिड़काव, आदि के जरिए जल का काफी संरक्षण कर सकते हैं।

रिसाइक्लिंग

नैचुरल रिसोर्सेस की रिसाइक्लिंग करके हम प्राकृतिक संसाधनों को बर्बादी रोक सकते हैं। पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास आदि की रिसाइक्लिंग से नेचर का संरक्षण कर सकते हैं। हमें अपनी डेली लाइफ में रिसाइकिल किए उत्पादों को अपनाना चाहिए।

सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल

हमें किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय ऐसे उत्पादों का चुनाव करना चाहिए जो कि लंबे समय तक उपयोगी हों। साथ ही, यह भी ध्यान देना चाहिए कि ये उत्पाद इन्वार्यमेंट फ्रेंडली तरीके से बनाए गए हों।

पर्सनली नेचर कंजर्वेशन के लिए प्रयास करें

हम सभी को कुछ न कुछ प्रयास अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रकृति के संरक्षण के लिए करना चाहिए। चाहें तो किसी पर्यावरण संरक्षण में लगे संगठन से भी जुड़ सकते हैं। इस तरह के कार्यों के लिए दान देना और कार्यक्रमों में हिस्सा लेना हमारे प्रकृति संरक्षण के प्रयासों में कारगर साबित हो सकते हैं। ■

घटती हरियाली बढ़ता पारा

पूरे जून महीने में हम लोग किस गर्मी में उबले हैं, यह बताने की जरूरत नहीं। देश के विभिन्न हिस्सों में कई मजदूर मर गये। कई आम आदमी के भी गर्मी के कारण प्राण-पखेरू उड़ गये। कई मवेशी भी दम तोड़ गये। सूर्यदेव की किरणें निरंतर प्रखर होती जा रही हैं। सुबह 9 बजते-बजते पारा 35 डिग्री पार कर जा रहा है। दोपहर के दो बजते-बजते तापमान 44 से 45 डिग्री के आस-पास आकर टिक जाता है और कम होने का नाम ही नहीं लेता। कई घरों में एसी, मोबाइल आदि के फटने की भी खबरें आपने पढ़ी होंगी। रिकार्ड बताते हैं कि बीते 24 सालों में झारखंड में जून के महीने में किसी भी शहर-गांव-बस्ती का पारा 46 डिग्री तक नहीं पहुंचा था। इस बार पहुंच गया। अगर आने वाले दिनों में यह 46 डिग्री का रिकार्ड टूट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आम जन-जीवन प्रायः ध्वस्त हो चुका है। स्कूल बंद हैं। कामकाज पर इसका अच्छा-खासा-प्रतिकूल असर पड़ा है। लोगों की आमदनी कम हो गई है। ठेला-खोमचा लगाने वाले घरों पर ही बैठ रहे हैं। जो सुबह में ठेला-खोमचा लगाते थे, वो शाम में लगा रहे हैं। जाहिर है, आठ घंटे बाजार में रहने वाले अगर दो से चार घंटे बाजार में रहेंगे तो उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा ही।

■ **आनंद सिंह/आशुतोष राय/एजेंसी इनपुट**

क्यों नाराज हैं सूर्यदेव

दरअसल, सूर्यदेव को हम लोगों ने ही नाराज कर डाला है। घर बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी तो पेड़ काट दिये। कुर्सी-टेबुल और पलंग की जरूरत थी तो भी पेड़ काट दिये। तस्कर किस्म के लोगों ने जंगल के जंगल उजाड़ दिये। ये सब करने से उन्हें पैसे तो मिले, जरूरतें तो पूरी हुईं लेकिन उसका नुकसान कितना बड़ा हुआ, ये हम लोग आज भोग रहे हैं। ये किसे नहीं मालूम कि पेड़-पौधे सूर्य की किरणों को कितना रोकते हैं। खुद झेलते हैं प्रकाश की तीव्रता लेकिन इंसान को छाया देते हैं। हमने छायादार पेड़ों को काट कर आलीशान मकान बना लिये और अब एसी लगाकर गर्मी से दो-दो हाथ करने का माद्दा पाल रखे हैं। कहां सूर्य की किरणें और कहां हाथों से बनाई गई एसी। नेचर से क्या मुकाबला। यही कारण है कि एसी फट रहे हैं।

उद्योग-धंधे के नाम पर पर्यावरण का सत्यानाश

विकास के नाम पर, आगे बढ़ने के नाम पर उद्योग तो हमने लगा लिए लेकिन जिस स्थान पर उद्योग लगाए, वहां से पेड़ों को काट कर फेंक दिया। पेड़ काटे ताकि उद्योग-धंधा चले लेकिन पेड़ के बदले दूसरी जगह पर पेड़ नहीं लगाए, इसका नुकसान उनकी वर्तमान पीढ़ी कर रही है। ठीक है, उद्योग-धंधे भी जरूरी हैं लेकिन क्या वृक्षों की कीमत पर? नहीं। एक उद्योगों के लिए समतल भूमि जरूरी है तो पेड़ काटिए लेकिन जब आपका काम हो जाए तो जितने पेड़ काटे हैं, उतना तो कम से कम लगा दीजिए।

दरअसल, आपको इस तथ्य को समझना होगा कि पेड़ नहीं रहेंगे तो सूर्य की किरणें आपको नुकसान पहुंचाएंगी ही, इसके साथ ही कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि से भी आपको जूझना होगा। अभी जो हाल सूर्यदेव की तीखी किरणों ने कर रखा है, उससे तो लगता ही नहीं कि आने वाले महीनों में झमाझम बारिश होगी। इतने बड़े देश में सूखे का साया अभी से महसूस हो रहा है।

जलवायु में बदलाव के चलते बढ़ने वाली गर्मी जलवायु परिवर्तन के असर को बढ़ाती है। अल नीनो वायुमंडलीय प्रवाह को इतना बदल देता है कि दुनिया के कई हिस्सों में 6 से 12 महीनों के लिए स्थानीय मौसम बदल जाता है। दक्षिणी दोलन नामक मौसमी घटना के साथ यह जुड़ा हुआ है जो ताहिती द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागर में समुद्र स्तर के वायु दबाव पैटर्न में बदलाव को दिखाता है।

क्यों बढ़ रहा है पारा

धरती के गर्म होने के कारणों में इंसानी गतिविधियों के साथ-साथ प्राकृतिक वजहें भी शामिल हैं। इसे चलाने वाला प्राथमिक कारक जलवायु परिवर्तन है। 2023 अल नीनो वाला साल था जो जलवायु में कुदरती तरीके से बदलाव लाता है। इसमें तापमान और बारिश जैसे जलवायु पर असर डालने वाले घटकों में औसत से अंतर आ जाता है। नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने तापमान बढ़ाने वाले तीन अन्य कारकों के बारे में भी बताया है- महासागर का गर्म होना, एरोसोल में कमी और 2022 में दक्षिण प्रशांत में समुद्र के नीचे टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट।

पृथ्वी की सतह के पास वायु का औसत तापमान बढ़ रहा है। इस बदलाव का बड़ा कारण कोयला, गैस और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारे घरों, व्यवसायों और शहरों को रोशन करते हैं और हमें आवाजाही में मदद करते हैं। खेती और डेयरी पालन, भूमि के इस्तेमाल में आ रहे बदलाव, निर्माण, कचरा प्रबंधन और औद्योगिक प्रक्रियाएं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अलग-अलग तरह के कृत्रिम रसायनों का उत्सर्जन करती हैं। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर गर्मी को ढकती और रोकती हैं।

जलवायु में बदलाव के चलते बढ़ने वाली गर्मी जलवायु परिवर्तन के असर को बढ़ाती है। अल नीनो वायुमंडलीय प्रवाह को इतना बदल देता है कि दुनिया के कई हिस्सों में 6 से 12 महीनों के लिए स्थानीय मौसम बदल जाता है। दक्षिणी दोलन नामक मौसमी घटना के साथ यह जुड़ा हुआ

है जो ताहिती द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागर में समुद्र स्तर के वायु दबाव पैटर्न में बदलाव को दिखाता है। अल नीनो की स्थिति बनने पर, ताहिती की तुलना में डार्विन में औसत वायु दबाव ज्यादा होता है और ला नीना नामक वैकल्पिक ठंडे चरण के दौरान ठीक इसके उलटा होता है। अल नीनो साउथर ऑसिलेशन कहलाने वाली, प्राकृतिक जलवायु में बदलाव की यह घटना दुनिया के दूरदराज के हिस्सों में स्थानीय मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है। अल नीनो वाले साल में, भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून दब जाता है। समुद्र का अस्थायी तापन प्रशांत जेट स्ट्रीम को दक्षिण की ओर धकेलता है, जिससे उत्तरी अमेरिका और कनाडा के हिस्से गर्म और शुष्क हो जाते हैं।

समाधान क्या है

भारत वन संरक्षण की एक रिपोर्ट बताती है कि वन और

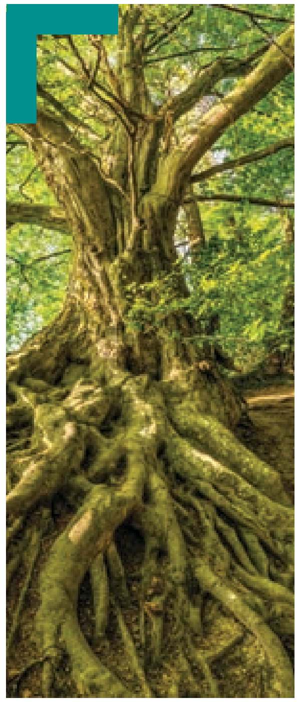

हरित क्षेत्र में क्रमशः बढ़ोत्तरी हो रही है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेकार पड़ी भूमि का वनीकरण; हरित पट्टी का विकास, कृषि-वानिकी, रेलवे, नहरों, सड़कों और नदियों के किनारे पौधारोपण तथा शहरों के हरित क्षेत्र को बनाए रखना होगा। इसमें से तीन-चौथाई बढ़ोत्तरी वनों की सुरक्षा और बेकार भूमि पर वनीकरण करके की जा सकती है। बिगड़े और खुले पड़े वनों को बहाल करने की प्राथमिकता से भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है।

एक ताजा अध्ययन के अनुसार वायुमंडल की कार्बन को पेड़ों, वनस्पतियों और मृदा में अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध बना लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। इसके अलावा वनों से जल की गुणवत्ता सुधर सकती है, मृदा क्षरण में कमी आ सकती है, जैव विविधता की रक्षा हो सकती है और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। अध्ययन करने वालों ने इस तथ्य का भी खुलासा किया कि पड़ती भूमि को वन की तरह विकसित करने से पौधारोपण के लिए भूमि के इस्तेमाल की तुलना में 42 गुणा अधिक कार्बन, वन अवशोषित कर सकते हैं। एक अन्य अध्ययन बताता है कि पूरे विश्व में 0.9 अरब हेक्टेयर की कैनोपी को बढ़ाकर ग्रीन गैस उत्सर्जन के 2/3 प्रभाव को कम किया जा सकता है। अध्ययनों से यह तथ्य उजागर होता है कि केवल वनों को ठीक करने से जलवायु परिवर्तन पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके लिए वनों के प्रकार भी महत्व रखते हैं। इसके लिए वनों का प्राकृतिक पुनरूत्थान ही सर्वोत्तम तरीका है। भारत समेत अनेक देशों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण के ऐसे मोनो कल्चर प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जो बहुत कम कार्बन अवशोषित करते हैं। जब ये काटे जाते हैं, तब इनकी लकड़ी के जलने से कार्बन फैलता है। वृक्षारोपण के लिए चुने गए कुछ पौधे इस प्रकार के हैं, जो जलवाही स्तर को प्रभावित करते हैं। इनका कोई लाभ नहीं होता।

अगर जलवायु परिवर्तन को वाकई नियंत्रित करना है, तो तीन बातों का ध्यान रखना होगा-पहला-वनों की कटाई को रोकना होगा, दूसरा-बिगड़े और खुले वनों के अलावा वनीकरण के लिए चुने हुई पड़ती भूमि को पूरी तरह से प्राकृतिक वनीकरण और कृषि वानिकी के लिए छोड़ना होगा और तीसरा-स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ों के स्थानीय प्रकार से ही वनीकरण को संभव बनाया जाना होगा। प्राकृतिक वनों के उद्धार के बाद उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। भारत में स्थानीय समुदायों द्वारा वनों के संरक्षण का कार्यभार बखूबी किया जाता रहा है। इस परंपरा को न सिर्फ बनाए रखा जाना चाहिए, बल्कि इसका विस्तार जलवायु, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी किया जाना चाहिए। ■

एक ताजा अध्ययन के अनुसार वायुमंडल की कार्बन को पेड़ों, वनस्पतियों और मृदा में अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध बना लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। इसके अलावा वनों से जल की गुणवत्ता सुधर सकती है, मृदा क्षरण में कमी आ सकती है, जैव विविधता की रक्षा हो सकती है और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।

क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस?

हर साल 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दों और प्राकृतिक पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। प्लास्टिक पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक प्लास्टिक बैग को सड़ने में 100 से 500 साल लग सकते हैं।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

कब हुई थी प्लास्टिक बैग फ्री दिवस की शुरुआत?

अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस वेस्ट यूरोप द्वारा साल 2009 में शुरू किया गया। यह एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक बैग के उपयोग को खत्म करना है। यह दिवस प्लास्टिक और डिस्पोजल ले जाने वाले उपकरणों के बारे में लोगों में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हम सभी को प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस का उद्देश्य प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कागज या कपड़े की थैलियों सहित पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि हम प्लास्टिक बैग के उपयोग को समाप्त कर सकें।

एकल-उपयोग प्लास्टिक बैग के बारे में 10 तथ्य

1. विश्व में प्रति वर्ष 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का उपयोग होता है।
2. अमेरिकी लोग प्रति वर्ष औसतन 365 प्लास्टिक बैग का उपयोग करते हैं। डेनमार्क में लोग प्रति वर्ष औसतन चार प्लास्टिक बैग का उपयोग करते हैं।
3. एक मील की दूरी तय करने के लिए आवश्यक ईंधन के बराबर ईंधन के लिए केवल 14 प्लास्टिक बैगों की आवश्यकता होती है।
4. 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 730,000 टन प्लास्टिक बैग, बोरियां और आवरण उत्पन्न हुए, लेकिन उनमें से 87% से अधिक वस्तुओं का कभी पुनर्चक्रण नहीं किया गया। वे लैंडफिल और समुद्र में समा गए।
5. मृत चमड़े वाले समुद्री कछुओं में से लगभग 34% ने प्लास्टिक खाया है।
6. बोतलों, थैलियों और खाद्य कंटेनरों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक में अंतःस्रावी विघटनकारी जैसे रासायनिक योजक होते हैं, जो मनुष्यों और वन्य जीवों में कैंसर, जन्म दोष और प्रतिरक्षा प्रणाली दमन सहित नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों से जुड़े होते हैं।
7. लैंडफिल में प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में 1,000 साल लगते हैं। दुर्भाग्य से, बैग पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, बल्कि फोटो-डिग्रेड हो जाते हैं, माइक्रोप्लास्टिक बन जाते हैं जो विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करना जारी रखते हैं।
8. प्लास्टिक की थैलियों से निकलने वाले रासायनिक रिसने वाले पदार्थ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों, प्रोक्लोरोकोकस (जो एक समुद्री जीवाणु है) के विकास को बाधित करते हैं। यह विश्व को ऑक्सीजन का दसवां हिस्सा प्रदान करता है।
9. 2018 के अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई अभियान में 1.9 मिलियन किराने की थैलियां और अन्य प्लास्टिक थैलियां एकत्र की गईं।
10. 2014 में कैलिफोर्निया प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया। मार्च 2018 तक हवाई सहित 24 राज्यों में 311 स्थानीय बैग अध्यादेश अपनाए जा चुके हैं। जुलाई 2018 तक 127 देशों ने प्लास्टिक बैग को विनियमित करने के लिए किसी न किसी तरह का कानून अपनाया है।

आप क्या करें

ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक पॉल्यूशन एक्ट का समर्थन करें, जो प्लास्टिक को धीरे-धीरे खत्म कर देगा, उद्योग को उसके कचरे के लिए जिम्मेदार ठहराएगा और नए प्लास्टिक बनाने वाले प्लांट के निर्माण को रोक देगा। सबसे पहले बर्बादी को रोकें और जब भी संभव हो, उसका पुनः उपयोग करें। खरीदारी करते समय हमेशा एक पुनः उपयोग योग्य बैग साथ रखें। अपने बैग को नियमित रूप से धोकर और उन्हें अच्छी तरह से सुखाकर, आप उन्हें बार-बार पुनः उपयोग कर सकते हैं। ■

वन है तो जीवन है

वन महोत्सव भारत में प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। यह पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन है। मतस्य पुराण में कहा गया है कि दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावडिय़ों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र तथा दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

वन महोत्सव भारत में प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। यह पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन है। मतस्य पुराण में कहा गया है कि दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावडिय़ों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र तथा दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है और श्रीमद्भागवत के अनुसार वृक्षों का सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, फिर भी ये हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं।

वन महोत्सव की अनौपचारिक शुरुआत जुलाई 1947 में दिल्ली में सघन वृक्षारोपण हेतु आन्दोलन के रूप में की गई थी, जिसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरु सरीखे राष्ट्रीय नेताओं ने शिरकत की थी। इसके साथ-साथ यह उत्सव कई राज्यों में मनाया गया था। तब से भिन्न-भिन्न प्रजातियों के हजारों पौधे वन विभाग जैसी विभिन्न स्थानीय एजेंसियों की प्रभावशाली सहभागिता से लगाए जाते हैं। महोत्सव का सूत्रपात तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने 1950 में किया था। इस दौरान देश भर में लाखों पौधे लगाए जाते हैं। प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वन महोत्सव सप्ताह में एक पौधा जरुर लगावे। वन महोत्सव लोगों में पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसान के प्रति सजगता फैलाता है।

जंगल नहीं है यह

कुदरत के खेल निराले हैं। यह जंगल की तरह दिखाई दे रहा वास्तव में एक पेड़ मात्र है। यह पेड़ कोलकाता के आचार्य जगदीश चन्द्र बसु बोटनिकल गार्डन में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ है, जो 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। स्थानीय लोग इस बरगद के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसकी आयु 250 साल के आस-पास बताई जाती है। इस पेड़ की मूल जड़ अब अपना अस्तित्व खो चुकी है, पर उससे निकली पुत्रजड़ों की संख्या 3000 से भी ज्यादा है, जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वृद्घि रोकने के लिए 1925 में मूल जड़ को काट दिया गया था। पर इसकी सहायक जड़ अपने आप में तब तक एक जटिल नेटवर्क बना चुकी थी। इस पेड़ को देखने के लिए काफी दूर-दूर से पर्यटक आते हैं, इस कारण से इस क्षेत्र की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। फिलहाल इसका संरक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

वनों का महत्व

वन प्रागैतिहासिक काल से ही मानवजाति के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। वन का मतलब केवल पेड़ नहीं है बल्कि यह एक संपूर्ण जटिल जीवंत समुदाय है। वन की छतरी के नीचे कई सारे पेड़ और जीव-जंतु रहते हैं। वनभूमि बैक्टेरिया, कवक जैसे कई प्रकार के अकशेरूकी जीवों के घर हैं। ये जीव भूमि और वन में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन पर्यावरण, लोगों और जंतुओं को कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। वन कई प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं। जैसे फर्नीचर, घरों, रेलवे स्लीपर, प्लाईवुड, ईंधन या फिर चारकोल एवं कागज के लिए लकड़ी, सेलोफेन, प्लास्टिक, रेयान और नायलॉन आदि के लिए प्रस्संकृत उत्पाद, रबर के पेड़ से रबर आदि। फल, सुपारी और मसाले भी वनों से ही एकत्र किए जाते हैं। कर्पूर, सिनचोना जैसे कई औषधीय पौधे भी वनों में ही पाए जाते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती है और इस प्रकार वह भारी बारिश के दिनों में मृदा का अपरदन और बाढ़ भी रोकती हैं। पेड़ कार्बन डाइ आक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसकी मानव जाति को सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। वनस्पति स्थानीय और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती है। पेड़ पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं और जंगली जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वे सभी जीवों को सूरज की गर्मी से बचाते हैं और पृथ्वी के तापमान

पर्यावरण प्रहरी शेर सिंह

भैंसियाछाना के बूंगा गांव निवासी शिक्षक शेर सिंह जड़ौत ने 1995 में घर पर ही एक छोटी नर्सरी बनाई। उसमें बांज के पौधे उगाने शुरू किए। ज्योंही पौधा अन्यत्र लगाने लायक होते तो उसे आसपास के जंगल में रोप आते। एक के बाद एक बांज वृक्षों का काफिला आगे बढ़ता गया और आज उनकी मेहनत और लगन से बीस हेक्टेयर जंगल हरा-भरा नजर आता है। बीस वर्ष की उनकी मेहनत का परिणाम अब सामने है। जड़ौत के क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने लगा है। नए प्राकृतिक जल स्रोत फूटने लगे हैं। दावाग्नि की घटनाएं कम हो चली हैं।

जंगल बचाने का अनूठा तरीका

ग्रीनपीस इंडिया के अभियानकर्ता ब्रिकेश सिंह पेड़ों को बचाने के लिए अनूठा तरीका अपनाते हैं। जिस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का उन्हें प्रतिरोध करना होता है वहां उस इलाके के पेड़ पर वे डेरा डाल देते हैं। ब्रिकेश ने मध्य भारत के जंगलों में कोयला खनन का विरोध इसी तरीके से किया था। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा के कोयला खनन वाले इलाके में पेड़ों की कटान रोकने के लिए एक पेड़ पर ब्रिकेश ने पूरा एक महीना गुजारा था।

को नियंत्रित करते हैं। वन प्रकाश का परावर्तन घटाते हैं, ध्वनि को नियंत्रित करते हैं और हवा की दिशा को बदलने एवं गति को कम करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार वन्यजीव भी महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारी जीवनशैली के महत्वपूर्ण अंग हैं।

अंधाधुंध कटाई से परेशानी

समय की मांग है कि वनों को बचाया जाए क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से समस्याएं पैदा होती हैं। वन क्षेत्र घटकर 30 प्रतिशत रह गया है जबकि पहले 60 प्रतिशत पर ही इसके क्षरण का विरोध किया गया था। वन जैव विविधता की रक्षा करते है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को यह सूचना देने का अवसर उपलब्ध कराना है कि कैसे वनों का रखरखाव और संपोषणीय रूप से उनका इस्तेमाल किया जाए। वन जैव विविधता एक व्यापक शब्दावली है जो वन्य क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी सजीवों और उनकी पारिस्थितिकीय भूमिका से संबद्ध है। इसके तहत न केवल पेड़ आते हैं बल्कि विविध प्रकार के जंतु और सूक्ष्मजीव, जो वन्य क्षेत्र में रहते हैं और उनकी गुणसूत्रीय विविधता भी आती है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य, प्रजाति, संख्या, आनुवांशिकी समेत विभिन्न स्तरों पर समझा जा सकता है। इन स्तरों के अंदर और इनके बीच जटिल अंतःक्रिया हो सकती है। जैव विविध वनों में यह जटिलता जीवों को लगातार

राष्ट्रीय वन आयोग

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी, 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई ताकि वन एवं वन्यजीव क्षेत्र की समीक्षा की जा सके। यह आयोग नागरिक समुदाय की उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय, दोनों स्तरों पर वन प्रशासन की वर्तमान स्थिति तथा वानिकी संस्थानों का परीक्षण करता है। सतत वन एवं वन्यजीव प्रबंधन एवं विकास, जैव-विविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिकी सुरक्षा की प्राप्ति के लिए नीति विकल्प दर्शाते हुए अनुशंसाएं करता है। यह वानिकी प्रबंधन तथा आदिवासियों सहित स्थानीय समुदायों के बीच अर्थपूर्ण साझेदारी और संपर्क स्थापित करता है।

भारतीय वन अधिनियम, 1927

भारतीय वन अधिनियम, 1927 देश में वनों के प्रबंधन के लिए कानूनी ढ़ांचा प्रदान करता है। कुछ राज्यों में, अधिनियम वैसा का वैसा लागू होता है, जबकि कुछ राज्यों ने अपने स्वयं के कानून लागू किए हैं, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 के ही अपनाए गए संस्करण हैं।

बदलते पर्यावरणीय स्थितियों में अपने आप को ढालने में मदद करती है और पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू बनाती है। पिछले 8000 वर्षों में पृथ्वी के मूल वनक्षेत्र का 45 प्रतिशत हिस्सा गायब हो गया। इस 45 प्रतिशत हिस्से में ज्यादातर हिस्सा पिछली शताब्दी में ही साफ किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि हर वर्ष 1.3 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र कटाई की वजह से खत्म होता जाता है।

भारतीय वनक्षेत्र की वार्षिक कुल क्षति 73 लाख हेक्टेयर रही है (जो विश्व के वन क्षेत्र के 0.18 फीसदी के बराबर है)। पिछले वर्षों में शहतीर लगाना वनों के लिए महत्त्वपूर्ण कामकाज माना जाता था। हालांकि हाल के वर्षों में यह अवधारणा ज्यादा बहुप्रयोजन एवं संतुलित दृष्टकोण की ओर बदली है। अन्य वन्य प्रयोजनों और सेवाओं जैसे वनविहार, स्वास्थ्य, कुशलता, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन का उपशमन अब वनों की महत्ता के अंग समझे जाने लगे हैं। इसे लगातार जटिल एवं अनोखे तत्व के रूप में मान्यता मिलती जा रही है। जैव विविधता संधिपत्र (सीबीडी) में सीधे वन जैव विविधता के विस्तारित कार्यक्रम के जरिए वनों पर ध्यान दिया गया है। यह संधिपत्र 2002 में सीबीडी के सदस्य देशों की छठी बैठक में स्वीकार किया गया। ■

संतुलन के लिए जरूरी है वन महोत्सव

जुलाई के पहले सप्ताह (1 से 7 जुलाई) में वनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। यह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है, जिसमें पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। वन महोत्सव पर लोग पौधे लगाते हैं और अधिक लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो सब मिलकर विभिन्न वृक्षारोपण अभियान भी चलाए। वन महोत्सव सप्ताह में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

■ डॉक्टर रामानुज पाठक

वन महोत्सव का महत्व

वन महोत्सव पर लोग पौधे लगाते हैं और अधिक लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो सब मिलकर विभिन्न वृक्षारोपण अभियान भी चलाए। वन महोत्सव सप्ताह में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और ग्रह पर मनुष्यों को ऑक्सीजन प्रदान करने में पेड़ और जंगल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन महोत्सव सप्ताह एक अनुस्मारक है कि हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए और वनों की कटाई को रोकना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के तीन आर का नियम-कम करना (रिड्यूस), पुनः उपयोग करना (रीयूज), पुनः चक्रण (रीसायकल) करना का पालन करना चाहिए। इस सप्ताह के दौरान बच्चों और बड़ों को पौधे लगाते हुए और वृक्षारोपण अभियान में भाग लेते हुए, पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि भारत ने 2030 तक अतिरिक्त 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक शोध के अनुसार विगत सात वर्षों

में भारत देश में जंगल के भीतर और बाहर वृक्षों का आवरण बढ़ा है और 15,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भी बढ़ा है।

वन महोत्सव का इतिहास

वन महोत्सव दिवस का इतिहास 1947 का है, जब इसे पहली बार पंजाबी वनस्पतिशास्त्री एमएस रंधावा द्वारा 20 से 27 जुलाई तक आयोजित किया गया था। तत्कालीन दिल्ली पुलिस के आयुक्त खुर्शीद अहमद खान ने 20 जुलाई 1947 को वन महोत्सव के पहले आयोजन का उद्घाटन किया, जिसमें वनस्पतियों और जीवों पर वनों की कटाई के प्रभाव पर जोर दिया गया था।

डॉ.राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा एक समृद्ध वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, तब से वन महोत्सव मनाने और पेड़ लगाने की परंपरा चली आ रही है। 1950 में इसे खाद्य और कृषि मंत्री कन्हैया माणिलाल मुंशी द्वारा राष्ट्रीय गतिविधि के रूप में घोषित किया गया था। बाद में इस त्योहार को जुलाई में पहले सप्ताह में स्थानांतरित कर दिया गया और 1950 में इसका नाम बदलकर वन महोत्सव कर दिया गया।

वन महोत्सव का महत्व

वन महोत्सव सप्ताह भारत में लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि औद्योगीकरण और शहरीकरण के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। पेड़ खाद्य संसाधनों के उत्पादन में योगदान करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जलवायु में सुधार करते हैं, पानी का संरक्षण करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, वन्य जीवन का समर्थन करते हैं, सूखे को कम करते हैं और मिट्टी के कटाव और प्रदूषण को रोकते हैं। वनों की कटाई अत्यधिक चिंताजनक है और वन महोत्सव सप्ताह का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को वनों को उगाने और बचाने के लिए एक साथ लाना है। इस सप्ताह के दौरान, द वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड और अमेजन वॉच जैसे कई संगठन वनीकरण को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए कई वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

हम वन महोत्सव कैसे मना सकते हैं?

लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर विभिन्न वृक्षारोपण अभियान चलाती है। हम भी अपना काम कर सकते हैं।

वन महोत्सव के दौरान हर दिन अधिक से अधिक पेड़ लगाकर और अधिक से अधिक लोगों को ऐसा करने के लिए कह कर मनाया जा सकता है।

वनों को नष्ट करके उत्पादित या बनाए गए उत्पादों को खरीदने की प्रवत्ति कम या बंद कर सकते हैं और उनका उपयोग करने से बच सकते हैं। अपने घरों, स्कूलों, कार्यालयों और कॉलेजों में पेड़ लगाएं और विभिन्न जागरूकता अभियानों में भाग लें। विभिन्न स्वयंसेवकों और संगठनों द्वारा भी पेड़ों के मुक्त संचलन जैसी पहल की जा सकती है।

बच्चों को पेड़ लगाने की आवश्यकता के बारे में सिखाने के लिए स्कूलों में कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं कि वृक्ष ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और प्रदूषण को कम करने में कैसे मदद करते हैं।

हम 3आर का नियम (रेड्यूस,रियूज,रीसाइकल) का भी अभ्यास कर सकते हैं और पेड़ों और जंगलों से कच्चे माल की आवश्यकता को कम कर सकते हैं।

वन महोत्सव कार्यक्रमों से निसंदेह जन जागरूकता पैदा हुई है। 79 फीसदी भारतीय छात्रों को लगता है कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना और पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है। एक सर्वेक्षण कहता है कि पिछले 200 वर्षों में जलवायु परिवर्तन में भारत का योगदान सिर्फ 3 फीसदी रहा है। यह खबर कुछ सुकून देती है।

प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर नाना प्रकार के सभा सम्मेलन के बावजूद पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम कच्छप गति से ही आगे बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। हालांकि, हम प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव भारत में मनाते हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण आयोजनों में जब विश्व के हर कोने से पर्यावरण संरक्षण को लेकर आवाजें बुलंद होती हैं, नारे गूंजते हैं और पौधे भी लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं नाना प्रकार से अपने को पर्यावरण संरक्षक दिखाने की लोगों में होड़ लगी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ एक दिन या एक सप्ताह। दूसरे दिन या दूसरे सप्ताह लगाए गए पौधे मरेंगे या बचेंगे देखने वाला कोई नहीं ऐसे दिवसों का ढकोसला बंद होना चाहिए। क्यों हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इन दिवसों को मात्र कर्मकांड की तरह मानकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं?

पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है। ऐसे में इसके संरक्षण के लिए पल-पल हमें सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता।

वन महोत्सव और हमारी वन संपदा

हमारा देश वन संपदा और जैव विविधता के मामले में आदिकाल से ही संपन्न रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ-साथ औद्योगिक विकास की चाह या आवश्यकता ने पेड़ पौधों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई है। परिणाम स्वरूप कई फलदार और औषधीय पौधे आज केवल किस्से कहानियों तक ही सीमित रह गए हैं। वनों के ह्रास होने की प्रक्रिया पर्यावरण को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। बावजूद इसके भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों के वन क्षेत्र में तेजी से कमी आ रही है। राष्ट्रीय वन नीति के मुताबिक हमारे देश में 33 फीसदी वनों की उपलब्धता पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, जबकि हमारे केवल 24.5 फीसदी वन शेष बचे हैं।

देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल

देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56 फीसदी है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। कितनी विचित्र बात है वनों की गोद में पल्लवित और पुष्पित सभ्यता में आज वन ही उपेक्षित हो गए। वन के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा है, बावजूद इसके हम बेफिक्र हैं। दुर्भाग्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने की बजाय अपनी क्रियाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

> **हमारा देश वन संपदा और जैव विविधता के मामले में आदिकाल से ही संपन्न रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ-साथ औद्योगिक विकास की चाह या आवश्यकता ने पेड़ पौधों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई है। परिणाम स्वरूप कई फलदार और औषधीय पौधे आज केवल किस्से कहानियों तक ही सीमित रह गए हैं। वनों के ह्रास होने की प्रक्रिया पर्यावरण को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। बावजूद इसके भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों के वन क्षेत्र में तेजी से कमी आ रही है।**

8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56 फीसदी है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। कितनी विचित्र बात है वनों की गोद में पल्लवित और पुष्पित सभ्यता में आज वन ही उपेक्षित हो गए। वन के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा है, बावजूद इसके हम बेफिक्र हैं। दुर्भाग्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने की बजाय अपनी क्रियाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। औद्योगिक विकास और मानवीय स्वार्थों की पूर्ति को प्रतिदिन लाखों पेड़ पौधों की बलि दी जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व पेड़ों की संख्या अधिक थी, तो समय पर बारिश होती थी और गर्मी भी कम लगती थी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, पानी तरसा रहा है और गर्मी झुलसा रही है। औद्योगिक कूड़ा, कचरा सभी प्रकार के प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग से पूरा पर्यावरण दूषित हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र की जीएफआरए (ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असमेंट) रिपोर्ट प्रत्येक 5 वर्ष में जारी होती है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 1990 से 2015 के बीच कुल वन क्षेत्र में तीन फीसदी की कमी आई है। वैश्विक वन संसाधन आकलन(एफआरए) 2020 की रिपोर्ट 27 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 2019-2020 के दौरान वन क्षेत्र हासिल करने के मामले में भारत ने 10 देशों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वनों में 0.38 फीसदी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।

इस सूची में चीन सबसे ऊपर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और चिली का स्थान है। एफआरए ने भारत सरकार के संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को स्वीकार किया है, जिसके परिणामस्वरूप एशियाई महाद्वीप में समुदाय प्रबंधित वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। बढ़ती आबादी और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के चक्कर में निर्दोष पेड़ पौधों की बलि चढ़ाई जा रही है। इसी का नतीजा है कि पर्यावरण चक्र बिल्कुल विच्छेद हो गया है। बढ़ते वैश्विक ऊषमण (तापमान) के कारण आसमान से आग बरस रही है।

देश के सामने चुनौतियां

इधर, मॉनसून की अनियमितता से देश में आंशिक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। असमय दस्तक दे रही इस आपदा का नकारात्मक असर कृषि गत उत्पादन और जनसंख्या के एक बड़े हिस्से पर पड़ना निश्चित है। दूसरी तरफ हमारी संवेदनहीनता की यह हद है कि हमने पृथ्वी को तो दूषित कर दिया, अब इसे स्वच्छ बनाने की जगह मंगल जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन खोजने को लालायित हैं। मनुष्यों की हठधर्मिता ने संपूर्ण पर्यावरणीय चक्र को पलट कर रख दिया है। नतीजतन ना समय पर बारिश होती है और ना ही गर्मी और सर्दी ही आती है। सच तो यह है कि औद्योगिक विकास की बदलती परिभाषा मानव सभ्यता के अंत का अध्याय लिख रही है, लेकिन बेफिक्री के रथ पर सवार होकर हम अंधाधुंध विकास का गुणगान कर रहे हैं।

ऐसे में व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर पौधे लगाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, तभी जाकर जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां मानव जाति के अनुकूल होंगी। मनुष्यों की बुद्धि जड़ हो चुकी है। हमारे पूर्वजों ने हमें कितना शुद्ध और स्वच्छ वातावरण दिया था। क्या हम आगे आने वाली पीढ़ियों को उसे स्थानांतरित कर पाएंगे? शायद नहीं। जरूरी यह है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर पौधारोपण में बल दें और सिर्फ दिखाने के लिए वृक्षारोपण ना करें ना ही पौधे लगाते हुए फोटो खिंचा कर अखबारों में अपनी फोटो छपवा कर पर्यावरण मित्र बनने का नाटक करें। यथासंभव पौधों, वृक्षों को लगाकर उनकी सुरक्षा करें। मानव जाति के भविष्य के लिए वृक्षों का होना अत्यंत आवश्यक है। ■

■ आनंद सिंह

40 साल पहले के दौर को याद करें

बहुत ज्यादा नहीं, आज से 40 साल पहले की दुनिया में चलिए। क्या था लोगों के पास। आम आदमी के पास चलने के लिए साइकिल। थोड़े पैसे वाले हुए तो स्कूटर। थोड़े और पैसे वाले हुए तो मोटरसाइकिल। तब कार बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। कार वाले शहर में चंद लोग होते थे, जिनकी हैसियत कई बार कार वाला होने के नाते भी नापी जाती थी।

उस दौर को याद करें और थोड़ा यह भी याद करें कि तब आसमान कैसा होता था। नदियों का पानी कैसा होता था। बावड़ियों का पानी कैसा होता था। सड़कों या पगडंडियों की क्या हालत थी। जो धूल का गुबार उड़ता था, उसकी महक कैसी थी। जो बैलगाड़ी पर किसान बोझा ढोकर लाते थे, उनके पहियों से कैसा मधुर संगीत निकलता था। और याद करें राजकपूर की कालजयी फिल्म तीसरी कसम को भी, जिसमें राजकपूर कैसे नौटंकी वाली को दिल दे बैठते हैं और कैसे फणीश्वर नाथ रेणु के शब्दों में उस गांव के कण-कण को जिंदा कर दिया गया था।

40 साल पहले लोग मौसम विभाग से उतने बावस्ता नहीं थे। वे तो आसमान देख कर बता देते थे कि तीनों प्रमुख ऋतुएं- शीत, ग्रीषण और बरसात अपने तय समय़ पर ही आएंगी और तय समय पर ही जाएंगी। लोग मानसिक रुप से तैयार होते थे। बरसात के जाते-जाते माताओं-बहनों के हाथों में ऊन का गोला और कांटा आ जाता था, जिससे वह स्वेटर बुनने का काम शुरू कर देती थीं। उन्हें यह पता होता था कि कड़ाके की ठंड कबसे पड़ने वाली है। शीत के रहते ही जब आम के पेड़ों पर मंजर लगने लगते थे, तब भविष्यवाणियां होने लगती थीं कि इस बार आम का सीजन कैसा रहेगा। सिपिया का फल ज्यादा बढ़िया होगा या मलदहिया का, बीजू का, बंबईया का या फिर लंगड़ा का। यह भी कि चौसा अपनी रंगबाजी दिखा पाएगा या नहीं.....। और ये सब भविष्यवाणियां सोलहों आने सच साबित होती थीं। गर्मी के आखिरी दिनों में नाले-नालियों की सफाई होने लगती थी ताकि जब बारिश का पानी हो तो उसे एक जगह जमने से रोका जा सके। तब वाटर हार्वेस्टिंग का कांसेप्ट लोगों के

दिमाग में नहीं था। होता तो गांव वाले ये काम करते जरूर। बारिश का पानी बहता चला जाए, इसकी जुगत नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम के लोग लगातार करते रहते थे। इसमें स्थानीय लोगों की भूमिका भी काफी होती थी।

अब मौसम विभाग अपनी भविष्यवाणियों को संपादित करने के लिए मजबूर है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि 4 जून 2024 को मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि 15 जून तक मॉनसून झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। फिर नई भविष्यवाणी यह करनी पड़ी कि 15 नहीं, अब 19 जून तक मॉनसून झारखंड में प्रवेश कर सकता है। इसकी संभावना है। संभावना का मतलब हुआ हो भी सकता है, नहीं भी।

दरअसल, ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम हमसे रूठ गया है। जो पहले का कैलेंडर था, वह अब डिरेल्ड हो चुका है। अब आप जाड़ा, गर्मी और बरसात के बारे में दावा नहीं कर सकते कि कब से बारिश होगी, कब से गर्मी पड़ेगी और कब से ठंड। अब ये इतिहास की बातें हो गईं।

लेकिन जरा ठहरकर सोचें। ऐसा हुआ क्यों। 40 साल पहले उतने उद्योग-धंधे नहीं थे। कम उद्योग थे। लोग खेती पर ध्यान देते थे। उस दौर में जिसकी जितनी खेती थी, समाज में उसकी हैसियत उसी हिसाब से तय होती थी। 75 प्रतिशत जनता सीधे खेती से जुड़ी थी। खेती ही उनका सब कुछ था। खेती की कमाई से ही घर-परिवार चलता था। उसी खेती की कमाई से ही शादी-ब्याह, मरनी-हरनी, जनेऊ-बर्थडे मनाते थे लोग। फिर, जब मौसम दगा देने लगा, तब लोगों का खेती से धीरे-धीरे मोहभंग होने लगा। आप अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं और वहां के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से मिलें तो वह जरूर बताएगा कि गांव से वह शहर इसलिए आया, क्योंकि वहां खेती पर ऋणात्मक असर पड़ा। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि। कभी सूखे का साया तो कभी बाढ़ का कहर। वह शहर की तरफ इसलिए आ गया क्योंकि खेती में कोई श्योरिटी नहीं है। यहां 12 घंटे खट कर 10000 मिलने की तो श्योरिटी है ही। इसी श्योरिटी के चक्कर में गांव के गांव तहस-नहस हो गये।

40 साल पहले उतने उद्योग-धंधे नहीं थे। कम उद्योग थे। लोग खेती पर ध्यान देते थे। उस दौर में जिसकी जितनी खेती थी, समाज में उसकी हैसियत उसी हिसाब से तय होती थी। 75 प्रतिशत जनता सीधे खेती से जुड़ी थी। खेती ही उनका सब कुछ था। खेती की कमाई से ही घर-परिवार चलता था। उसी खेती की कमाई से ही शादी-ब्याह, मरनी-हरनी, जनेऊ-बर्थडे मनाते थे लोग।

पहले वाहन कम चलते थे तो धुआं कम निकलता था। पेट्रोल-डीजल की खपत कम थी। बहुत जरूरी होता था तो गाड़ी वाले गाड़ी निकालते थे। अब तो एक किलोमीटर भी जाना है तो गाड़ी चाहिए। लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है। इस बदलते लाइफ स्टाइल ने प्रकृति के साथ-साथ इंसानों का भी बुरा हाल किया है। प्रकृति को इंसान से और इंसान को प्रकृति से अलग किया ही नहीं जा सकता। हमारे दुख का कारण यही है कि हमने सुख के सभी कारकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। पेड़-पौधे काट कर घर बना लिए और बदले में जितने पेड़ काटे थे, उतने लगाए नहीं। जमीन की हालत खराब हो गई। अब बोरिंग नहीं, डीप बोरिंग का दौर आ गया है क्योंकि डीप बोरिंग नहीं करेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। बिना पानी के घर कैसे बनेगा। फिर, आदमी के जीवन में पानी नहीं तो जीवन कैसा।

इस दौर में प्रकृति का तो नुकसान हुआ ही है, आम जिंदगी भी बेजार होती चली जा रही है। लोग परेशान हैं।

गर्मी लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ओजोन परत का छिद्र लगातार बढ़ता जा रहा है। पेड़-पौधे होते तो इतनी गर्मी नहीं होती। ओजोन परत पर मरहम लगाने का काम होता। पेड़-पौधे हम उद्योग के नाम पर, पुल-पुलिया के नाम पर, रेलवे ट्रैक के नाम पर, घर-आफिस के नाम पर काट रहे हैं। नए पेड़-पौधे जो लगाए जा रहे हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को ही चरितार्थ करता है। तो, 40 साल पहले और आज की स्थिति की ही आप तुलना कर लें तो चीजें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। हम दुखी इसलिए ही तो हैं क्योंकि सुखी होने के तथाकथित साधन हमने खरीद लिये हैं। यह दुख तब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे कदम फिर से गांवों की तरफ नहीं उठ जाते। जिनके गांव हैं, उन्हें वापस जाना चाहिए। जिनके गांव नहीं, वो अपनी जन्मस्थली पर जाएं। उन चीजों का अध्ययन करें, जो पहले थे और अब नहीं हैं। आप खुद ही देखेंगे, चीजें फिर से अपने पुराने रुप में लौटनी शुरू हो जाएंगी। ■

झारखंड के लगभग 50 स्थानों पर हुई नदियों की पूजा, कई

दामोदर बचाओ आंदोलन के 20 साल पूरे, नदियों में आया गुणात्मक सुधार

- पहले नहाने लायक भी नही था दामोदर का पानी, अब पीने योग्य है: मनोज ठाकुर
- ऐसे कार्यक्रमों से पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता को प्रोत्साहन मिलता है:वत्स
- मानव सभ्यता के विकास में नदियों की भूमिका सबसे अहम: अंशुल शरण

20 साल पहले दामोदर को हर तरह के प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वह अब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता दिख रहा है। गंगा दशहरा के दिन आंदोलन की बीसवें साल के मौके पर झारखंड के लगभग 50 स्थानों पर लोगों ने नदियों की पूजा-अर्चना की और शपथ लिया कि वे दामोदर समेत अन्य नदियों को प्रदूषण से दूर ही रखेंगे। इस राज्य स्तरीय आयोजन में आम लोग तो शामिल हुए ही, प्रशासनिक अमला भी शामिल हुआ।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

रामगढ़ के रजरप्पा में युगांतर भारती के कार्यकारी अध्यक्ष और युगांतर प्रकृति मासिक पत्रिका के संपादक अंशुल शरण ने कहा कि आज का दिन नदियों का आभार मानने का दिन है। मानव सभ्यता के विकास में नदियों का ही सबसे बड़ा योगदान है। विश्व की सबसे प्राचीन मिश्र सभ्यता हो चाहे वह विश्व की सबसे बड़ी सिन्धु सभ्यता हो, इनका विकास नदी किनारे ही हुआ था। नदी का मानव सभ्यता के विकास में सबसे बड़ा योगदान है।

वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त संतोष कुमार वत्स ने कहा कि देवनद-दामोदर महोत्सव-2024-सह-गंगा दशहरा कार्यक्रम अत्यंत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता को प्रोत्साहन मिलता है।

उधर, चूल्हा पानी में जो दामोदर का उद्गम स्थल है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां नदी पूजन, हवन एवं आरती का आयोजन के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुडू प्रवेश कुमार साह ने कहा कि

स्थानों पर भंडारे का आयोजन, प्रदूषण मुक्ति का लिया संकल्प

दामोदर बचाओ आंदोलन की पृष्ठभूमि

केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे अमानवीय प्रदूषण से क्षुब्ध होकर बिहार के तत्कालीन विधान परिषद सदस्य श्री सरयू राय ने आवाज उठाई और "दामोदर बचाओ आंदोलन" नामक एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 29 मई, 2004 को गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर चूल्हापानी में दामोदर नदी के उद्गम बिंदु से डॉल्फिन मैन के नाम से विश्व भर में विख्यात प्रोफेसर आर.के. सिन्हा के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम पूरे मार्च में साथ रही और विभिन्न स्थानों से पानी, तलछट, जलीय जीवन के नमूने एकत्र किए। तब से गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर दामोदर महोत्सव दामोदर नदी के दोनों किनारों पर लगभग डेढ़ दर्जन स्थानों पर मनाया जाने लगा। बदलते वक्त के साथ यह आयोजन और तेजी पकड़ता गया और 2024 में यह आयोजन लगभग 50 स्थानों पर हुआ। प्रतिवर्ष जल, तलछट आदि के नमूने एकत्र किए जाते हैं तथा समय-समय पर युगांतर भारती की पर्यावरण प्रयोगशाला में उनका परीक्षण किया जाता है। 2004 से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, वह 20 साल बाद भी बदस्तूर जारी है। यह माना जाता है कि दामोदर का औद्योगिक प्रदूषण 95 प्रतिशत तक खत्म हो गया है। अगर लोग कचरा न डालें तो दामोदर औद्योगिक प्रदूषण से 100 फीसद मुक्त हो जाएगा। ■

स्वच्छ जल से ही स्वच्छ जीवन संभव इसे स्वच्छ बनाए रखें ताकि आने वाला समय में यह धरोहर हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए काम आए। सचमुच में चूल्हा पानी दामोदर नद का उत्सव स्थल का पानी अमृत समान है। जिस तरह दामोदर का जल झारखंड का सबसे प्रदूषित जल माना जाता था, ठीक उसके विपरीत अब दामोदर का यहां चूल्हा पानी का जल स्वच्छ और निर्मल है।

दामोदर बचाओ आंदोलन के जिला संयोजक बाल कृष्णा सिंह ने कहा कि अगर हमें जल को संरक्षित रखना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। पेड़ों का को बचाना होगा तभी हमारा यह जल संरक्षण बरकरार रहेगा।

चंद्रपुरा में दामोदर महोत्सव का आयोजन चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के इंटेकवेल के पास दामोदर तट पर किया गया। मुख्य अतिथि सीटीपीएस चंद्रपुरा के परियोजना प्रधान सह वरिष्ठ महाप्रबंधक मनोज कुमार ठाकुर जी थे। उन्होंने कहा कि दामोदर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए डीवीसी को जो भी करना पड़ेगा, वह हर संभव कार्य करेगी। दामोदर बचाओ आंदोलन एक बेहतरीन आंदोलन है। मैंने देखा है कि दामोदर का पानी नहाने-पीने के लायक भी नहीं था। आज मैं यह कहते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि अब दामोदर का पानी पीने लायक हो गया है। लोग इसी इन्टेकवेल के बगल में दामोदर के तट पर सुबह से नहाने के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं। भविष्य में हम दामोदर को प्रदूषण मुक्त करने के हर काम में सहयोग करते रहेंगे।

देवनद-दामोदर महोत्सव-2024-सह-गंगा दशहरा बोकारो के ललपनिया, तेनुघाट डैम, बीटीपीएस, जारंगडीह खेतको, बनासो मंदिर, जरीडीह बाजार बेरमो, रामविलास उ.वि. बेरमो, हिन्दुस्तान पूल, फूसरो, भंडारीडाह, चंद्रपुरा, जामुनिया पूल, दुग्धा, तेलमच्चो, अमलाबाद, भैरव स्थान भोलूडीह, झरना आश्रम, झरिया रोड, दीवानगंज, गरगा पुल, चास, पाण्डेय पुल चीरा, बीएस सिटी कॉलेज, चास, हनुमान नगर, वीरा कॉपरेटिव पुल, गरगा डैम, जैनामोड़ और अम्बागढ़ा पेटरवार में मनाया गया। उधर, धनबाद के सिन्दरी, सुदामाडीह, कतरास, निरसा, मैथन और पंचेत में भी यह आयोजन भव्य रूप में संपन्न हुआ। लोहरदगा के चूल्हापानी, लातेहार के चंदवा, चतरा के पिपरवार और टंडवा, रामगढ़ के दामोदर पुल, बरकाकाना, रजरप्पा, पतरातू, केदला, उरीमारी और भुरकुण्डा तथा राँची के खलारी, डकरा और 21 महादेव मंदिर, चुटिया में आयोजन शानदार तरीके से संपन्न हुआ। ■

चिंताजनक है बढ़ती आबादी

बढ़ती जनसंख्या दुनियाभर के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गई है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी बढ़ रही है। हर दिन लाखों की संख्या में बढ़ रही जनसंख्या लगभग सभी देशों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ये गंभीर बात है कि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है, जबकि चीन खिसक कर दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। 2024 में चीन की आबादी 1,425,178,782 थी और भारत की आबादी 1,441,089,092 हो गई थी। साफ जाहिर है कि अब भारत ने चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है लेकिन इस जनसंख्या में बढ़ोत्तरी से भारत में कई समस्याएं भी मुंह बाए खड़ी हो गई हैं। इनमें रोजगार, प्राकृतिक के साथ-साथ कृत्रिम संसाधनों पर अत्यधिक दबाव ज्यादा है। बहरहाल बढ़ती जनसंख्या से निपटने के लिए परिवार नियोजन जैसे समाधान मौजूद हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण जनसंख्या पर काबू नहीं पाया जा रहा है। दुनिया के तमाम देशों में बढ़ रही आबादी को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाने की शुरुआत हुई?

हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने आम सभा में 11 जुलाई 1989 को किया था। 1987 तक दुनिया की जनसंख्या पांच अरब के करीब पहुंच चुकी थी, जिसे लेकर देशों को चिंता होने लगी। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नागरिकों को जागरूक करने का फैसला लेते हुए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का ऐलान किया।

संसाधनों पर दबाव

लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है, वो है प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव। इन प्राकृतिक संसाधनों में ज़मीन, पानी, जंगल और खनिज शामिल हैं। जनसंख्या के बढ़ने की वजह से इन संसाधनों का ज़रुरत से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नतीजतन कृषि उत्पादकता और पानी की कमी के साथ पर्यावरण में गिरावट होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव

बढ़ती आबादी के कारण आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षण सुविधाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करना एक मुश्किल काम बन जाता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा बदहाल हालात में जीने के लिए मजबूर हो सकता है।

बेरोजगारी

एक बड़ी आबादी की वजह से काम करने की क्षमता रखने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या भी खड़ी हो जाती है। इस बड़ी संख्या को रोज़गार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरता है। आज की तारीख़ में भी भारत में बेरोज़गारी एक ज्वलंत समस्या है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या की वजह से ये समस्या भविष्य में एक विकराल रूप ले सकती है। ये बोरेजगारी की ही समस्या है, जिसके प्रभाव से नई सरकार की प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। सियासी राग-द्वेष से इतर देश के बेरोजगार नौजवानों ने अब उस पार्टी की तरफ देखना शुरू कर दिया है, जो सिर्फ उन्हें आश्वासनों के बताशे न खिलाए वरन रोजगार भी दे। रोज़गार की कमी आर्थिक असमानता और ग़रीबी को बढ़ाने का काम काम कर सकते हैं जिससे सामाजिक अशांति फैल सकती है।

शिक्षा और कौशल विकास

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ी आबादी पर्यावरण और संसाधनों पर दबाव डालती है। यही कारण है कि जनसंख्या संख्या को लेकर इतना चिंताजनक विमर्श हो रहा है। हालाँकि इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत लंबे समय से दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश रहा है और अब भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। किसी भी देश के लिए कोई आदर्श जनसंख्या आकार नहीं है।

–संघमित्रा सिंह

पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स लीड के तौर पर कार्यरत

एक बड़ी आबादी को शिक्षित और कुशल बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि समय के साथ जितने लोगों को शिक्षित और कुशल बनाने की ज़रूरत होगी उतनी क्षमता शैक्षणिक संस्थानों के पास शायद नहीं होगी। इसका सीधा परिणाम यह हो सकता है कि बहुत से लोग अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाएं और बहुत से लोगों के पास जो कौशल होगा, वो नौकरी के बाज़ार से मेल नहीं खाएगा।

गरीबी और असमानता

बढ़ती जनसंख्या की वजह से ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही आमदनी की असमानता भी बढ़ने का ख़तरा है। एक बड़ी चुनौती गरीबी कम करने की कोशिशों को समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने की भी होगी। कुल मिलाकर लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य और शिक्षा तक उनकी पहुँच में गहरी असमानताएं पैदा हो सकती हैं।

पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियाँ

बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। वनों की कटाई, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ी चुनौतियों के तौर पर उभर सकते हैं।

जनसंख्या दर वृद्धि में कमी लेकिन नीतियों का क्या होगा?

जनसंख्या वृद्धि दर के घटने के बावजूद भारत की जनसंख्या का बढ़ना जारी है और अगले कई सालों तक जारी रहेगा। ऐसे में सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती लोगों के लिए प्रभावी नीतियां और योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना होगा। भारत के बढ़ती जनसंख्या के मद्देनज़र सरकारों के लिए ऐसी नीतियां और योजनाएं बनाना और मुश्क़िल हो जाएगा जो ये सुनिश्चित करें कि संसाधनों का वितरण बराबरी से हो और सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर किया जा सके।

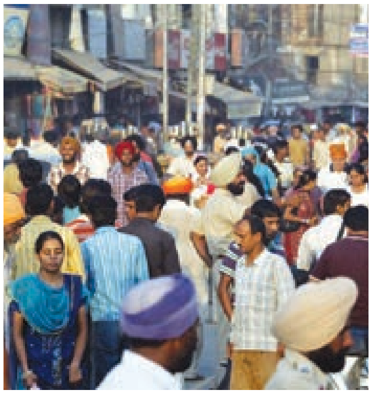

सामाजिक चुनौतियाँ

बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी एक बड़ी चिंता ये जताई जाती है कि इससे कई क़िस्म की सामाजिक चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। एक बड़ी आबादी भीड़-भाड़ को तो बढ़ाएगी ही, शहरीकरण को भी बढ़ावा देगी जिसकी वजह से अपराधों में बढ़ोत्तरी हो सकती है और क़ानून-व्यवस्था को क़ायम रखना मुश्क़िल हो सकता है।

बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते सवाल

संघमित्रा सिंह पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स लीड के तौर पर कार्यरत हैं। वह कहती हैं-इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ी आबादी पर्यावरण और संसाधनों पर दबाव डालती है। यही कारण है कि जनसंख्या संख्या को लेकर इतना चिंताजनक विमर्श हो रहा है। हालाँकि इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत लंबे समय से दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश रहा है और अब भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। किसी भी देश के लिए कोई आदर्श जनसंख्या आकार नहीं है। जब आप जनसंख्या की बात करते हैं तो आप लोगों की बात करते हैं और लोग नंबरों से पहले आते हैं इसलिए संख्या को लोगों से ज़्यादा महत्त्व देना मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण नहीं होगा। ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इस बारे में सवाल पूछे जाएं कि क्या लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, क्या उनके पास सही अवसर हैं, क्या वे पर्याप्त शिक्षित हैं?

प्रजनन दर में कमी

चर्चा का एक और विषय भारत की प्रजनन दर को लेकर भी है। नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर कम हो रही है। संघमित्रा सिंह के मुताबिक़ जनसंख्या को केवल प्रजनन दर से जोड़ने का मतलब ये है कि सारा बोझ महिलाओं पर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा ₹इससे ये सोच बनती है कि जब जनसंख्या कम हो रही है तो महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए और जब संख्या बढ़ रही हो तो महिलाओं को कम बच्चे पैदा करने चाहिए। क्या हम एक महिला की पसंद और उसकी शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान कर रहे हैं? क्या हम इस मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं कि भारत जैसे देश में जहां लैंगिक असमानता बनी हुई है और पितृसत्ता आज भी इतनी बड़ी समस्या है, क्या महिलाओं को यह तय करने का अधिकार है कि उनके कितने बच्चे हों? क्या गर्भनिरोधक साधनों तक उनकी पहुंच है?

बुज़ुर्ग आबादी को लेकर चिंताएं

भारत में 25 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी कुल आबादी का क़रीब 40 फ़ीसदी है। वहीं देश की क़रीब आधी आबादी की उम्र 25 से 64 साल के बीच है। लेकिन चूंकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर गिर रही है तो इस बात की चिंताएं बढ़ गई हैं कि आने वाले दशकों में भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुज़ुर्ग लोगों का होगा।

अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम

अक्सर देश में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर प्रारंभ होने वाले वैचारिक विमर्श को कुछ लोगों द्वारा एक हक छीनने जैसी प्रतिक्रिया मिलती है। ऐसा लगता है जैसे उनके निजी जीवन पर हमला किया गया हो। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग इसे धार्मिक रंग चढ़ाने से भी पीछे नहीं हटते और ज़रूरी मुद्दों के प्रति जागरूकता को लेकर समाज को भटकाने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले यह जानते हैं कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि एक सापेक्ष शब्द है। देश में उत्पादित खाद्यान्नों या उपलब्ध संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में अधिक तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या आर्थिक वृद्धि दर और सामाजिक संतुलन दोनों को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। वस्तुतः स्वास्थ्य संबंधी प्रगति दर के कारण घटती मृत्यु दर और स्थायी जन्म दर इस विसंगति के मूल में स्थित है। यद्यपि मानव संसाधन किसी भी देश की प्रगति के लिये आवश्यक है तथापि इसमें कमी या वृद्धि से उस देश का विकास प्रभावित हो जाता है। अतएव एक आदर्श स्थिति के निर्माण हेतु इसमें संतुलन आवश्यक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है एवं जनघनत्व के मामले में भी भारत काफी ऊपर है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि एवं अन्य संसाधनों पर काफी दवाब महसूस किया जाता रहा है। ■

संविधान में जानवरों को मिले हैं इंसानों जैसे अधिकार

भारतीय संविधान हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है, यह आपको पता है। भारतीय संविधान ने जानवरों को भी जीवन जीने की आजादी दी है। अगर इनके जीवन को बाधित करने का कोई प्रयास करता है तो इसके लिए संविधान में कई तरह के दंड के प्रावधान हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 10 जानवर ऐसे भी हैं जिनको मारने पर आपको जेल भी हो सकती है। यहां ऐसे ही जानवरों और उनकी रक्षा के लिए बने कुछ कानून के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है:

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

1. प्रिवेंशन ऑन क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) कहती है कि पालतू जानवर को छोड़ने, उसे भूखा रखने, कष्ट पहुंचाने, भूख और प्यास से जानवर के मरने पर आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। इसपर आपको 50 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर तीन महीने के अंदर दूसरी बार जानवर के साथ ऐसा हुआ तो 25 से 100 रुपये जुर्माने के साथ 3 माह की जेल सकती है।
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है।
3. भारत सरकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल (2001) के अनुसार किसी भी कुत्ते को एक स्थान से भगाकर दूसरे स्थान में नहीं भेजा जा सकता। अगर कुत्ता विषैला है और काटने का भय है तो आप पशु कल्याण संगठन में संपर्क कर सकते हैं।
4. भारत सरकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल (2001) की धारा 38 के अनुसार किसी पालतू कुत्ते को स्थानांतरित करने के लिए चाहिए कि उसकी उम्र 4 माह पूरी हो चुकी हो। इसके पहले उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अपराध है।
5. जानवरों को लंबे समय तक लोहे की सांकर या फिर भारी रस्सी से बांधकर रखना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप जानवर को घर के बाहर नहीं निकालते तो यह भी कैद माना जाता है। ऐसे अपराध में 3 माह की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
6. प्रिवेंशन ऑन क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) के तहत अगर किसी गोशाला, कांजीहाउस, किसी के घर में जानवर या उसके बच्चे को खाना और पानी नहीं दिया जा रहा तो यह अपराध है। ऐसे में 100 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

7. मंदिरों और सड़कों जैसे स्थानों पर जानवरों को मारना अवैध है। पशु बलिदान रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निगम की है। पशुधन अधिनियम, 1960, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत ऐसे करना अपराध है।
8. किसी भी जानवर को परेशान करना, छेड़ना, चोट पहुंचाना, उसकी जिंदगी में व्यवधान उत्पन्न करना अपराध है। ऐसा करने पर 25 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है।
9. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16 (सी) के तहत जंगली पक्षियों या सरीसृपों को नुकसान पहुंचाना, उनके अंडों को नुकसान पहुंचाना, घोंसलों को नष्ट करना अपराध है। ऐसा करने का दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 से 7 साल का कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
10. ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स, 1978 की धारा 98 के अनुसार, पशु को स्वस्थ और अच्छी स्थिति में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। किसी भी रोग ग्रस्त, थके हुए जानवर को यात्रा नहीं करानी चाहिए। ऐसा करना अपराध है।

वन्य जीव संरक्षण कानून क्या है?

जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। इसमें वर्ष 2003 में संशोधन किया गया जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 रखा दिया गया। इसमें दंड और और जुर्माना को और भी कठोर कर दिया गया है।

अनसूची एक क्या है

4. अनुसूची एक में 43 वन्य जीवों को शामिल किया गया है। इसमें धारा 2, धारा 8, धारा 9, धारा 11, धारा 40, धारा 41, धारा 43, धारा 48, धारा 51, धारा 61 और धारा 62 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है।
4. इस सूची में सुअर से लेकर कई तरह के हिरण, बंदर, भालू, चिकारा, तेंदुआ, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, डॉलफिन, कई तरह की जंगली बिल्लियों, बारहसिंगा, बड़ी गिलहरी, पेंगोलिन, गैंडा, ऊदबिलाव, रीछ और हिमालय पर पाए जाने वाले कई जानवरों के नाम शामिल हैं।
4. अनुसूची एक के भाग दो में कई जलीय जन्तु और सरीसृप को शामिल किया गया है।

अनुसूची दो क्या है ?

इस अनुसूची में शामिल वन्य जंतुओं के शिकार पर धारा 2, धारा 8, धारा 9, धारा 11, धारा 40, धारा 41 धारा 43, धारा 48, धारा 51, धारा 61 और धारा 62 के तहत दंड़ का प्रावधान है।

4. इस सूची के भाग एक में कई तरह के बंदर, लंगूर, सेही, जंगली कुत्ता, गिरगिट आदि शामिल हैं।
4. सूची के भाग दो में अगोनोट्रेचस एण्ड्रयूएसी, अमर फूसी, अमर एलिगनफुला, ब्रचिनस एक्ट्रिपोनिस और कई तरह के जानवर शामिल हैं।

राजस्थान पत्रिका, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में बिकने वाला अखबार है। इस अखबार ने कुछ साल पहले पाठकों से एक सवाल पूछा थाः वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब पाठकों ने बड़े पैमाने पर दिया। खास बात यह है कि पाठकों ने जिन बिंदुओं पर, जिन मुद्दों पर अपनी

लेखनी चलाई थी, वो मुद्दे आज भी खासे अहमियत रखते हैं। चूंकि युगांतर प्रकृति का मकसद पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ी चिंताओं और उसके सबल पक्ष से पाठकों को रू-ब-रू कराना है, लिहाजा इस रिपोर्ट को हम राजस्थान पत्रिका से साभार आपके समक्ष पेश कर रहे हैं...

सबसे खतरनाक है इंसान

यदि वन्य जीव इतिहास लिख सकते तो क्या लिखते? शायद यह कि इस पृथ्वी पर सबसे खतरनाक प्रजाति यदि है तो वह मनुष्य ही है। पृथ्वी को सबसे अधिक बर्बाद करने में इसी का योगदान है। वन्य क्षेत्र में मानव की गतिविधियां, आवासीय बस्तियां, अवैध खनन के अलावा शिकार भी हो रहा है। हमें इनकी भूमि इन्हें पुनः लौटानी चाहिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह सड़कों पर पक्षियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाए। जो लोग इन्हें पिंजरे में डालकर मोटी रकम कमाते हैं उन्हें भी एक बार ऐसे ही पिंजरे में डालकर महसूस कराना चाहिए कि कैद क्या होती है? विभिन्न कानूनों का उल्लंघन होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई तथा भारी जुर्माने का प्रावधान भी होना चाहिए।

-एकता शर्मा, गरियाबंद, छत्तीसगढ़

बचाने होंगे जंगल

बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया भर में वनों की कटाई हो रही है। वन्य जीवों को संरक्षित करने से पहले जंगलों को सुरक्षित करना होगा। साथ ही बिगड़ते पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर सजग होने का समय है, ताकि वे विलुप्त होने से बच सकें। जंगल में पेड़ों की कटाई तुरंत बंद होनी चाहिए, क्योंकि वनों की कमी जंगली जानवरों और पक्षियों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन बहुत आवश्यक हैं।

–दिव्यांश अमित शर्मा, श्रीमाधोपुर, सीकर

वन हैं, तो जीवन है

आबादी के दबाव में कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे है, वन संपदा घटती जा रही है। ऐसे में वन्य जीवों का जीना मुश्किल हो रहा है। भोजन पानी की तलाश में वन्य जीवों का आबादी में घुस आना स्वाभाविक है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाए जाएं। वनों में भोजन-पानी की सुनिश्चित व्यवस्था हो। आबादी से लगती वनों की सीमा पर मजबूत दीवार व तारबंदी हो। वन विभाग कर्मचारी निष्ठा से वन में वन्य जीवों की देखरेख करें। साथ ही समाज के लोगों को भी वन संपदा, वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वन हैं, तो जीवन है ।

-पूरण सिंह राजावत, जयपुर

इनके महत्व को समझना होगा

वन्य जीव हमारे पर्यावरण के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। मानव अपने थोड़े स्वार्थ के लिए इस धरोहर को निशाना बना रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। इनका संरक्षण अति आवश्यक हैं। इसके लिए जन जागरूकता पैदा करने के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही जवाबदेही तय करनी चाहिए।

-गजेन्द्र सिंह राठौर, मंदसौर

जागरूकता अभियान चलाया जाए

वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समय-समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए। लोगों को प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए।

-आलोक वालिम्बे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

कानून का पालन करवाएं

पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के संरक्षण में वन्य जीवों की मुख्य भूमिका है। इनके संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया है। इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। तस्करों की सूचना देने वालों और वन्यजीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाए। तहसील एवं ग्रामीण स्तर पर वन्य जीव सुरक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए। समर्पित एवं निष्ठावान पर्यावरणविदों को वन्यजीवों के संरक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए।

-सतीश उपाध्याय, मनेंद्रगढ़ कोरिया, छत्तीसगढ़

योजना का क्रियान्वयन भी हो

वन्यजीवों के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। राजस्थान सरकार ने जिलेवार शुभंकर घोषित कर विलुप्त हो रही प्रजातियों बचाने की योजना बनाई है, परन्तु धरातल पर यह योजना नजर नहीं आती।

-रेवत सिंह राजपुरोहित, सांचौर (राजस्थान)

रोकनी होगी इंसानों की आवाजाही

पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जरूरी है वन्य जीवों का संरक्षण। सरकार को वन क्षेत्र के केंद्रीय बिंदु यानी जहां पर जीवों की अधिकतम पहुंच होती है, वहां पर लोगों की आवाजाही को रोकना चाहिए।

-अजय सिंह सिरसला,चुरू

नहीं काटे जाएं वृक्ष

वन्यजीवों की रक्षा के लिए हमें हर कदम पर सरकार का साथ देना होगा, ताकि हम इन सभी को एक बेहतर वातावरण दे सकें। हमें जंगल में पेड़ों को काटना बंद करना होगा। विलुप्त होने वाले जानवरों व पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए।

-नरेश सुथार, बीकानेर

सामूहिक प्रयास जरूरी

वन्य जीवों की अनेक प्रजातियों में बड़ी तेजी से गिरावट आने लगी है। कुछ प्रजातियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। ऐसा न हो कि हम वन्य प्राणियों को देखने को ही तरस जाएं। इसलिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा

-साजिद अली, इंदौर

पेड़ों की कटाई रोकी जाए

वन्यजीवों की लगातार घटती संख्या चिंता का विषय है। सबसे पहले जंगलों में पेड़ों की कटाई रोकी जानी चाहिए, क्योंकि बिना जंगलों के वन्य जीवन की सुरक्षा कैसे की जा सकता है। जंगलों में लोगों की आवाजाही भी कम होनी चाहिए। वन्य जीवों के अंगों और खालों की बड़ी मात्रा में जो तस्करी हो रही है, उसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए।

-प्रतिभा गुलगुलिया, सूरत, गुजरात

जीवों के प्रति दया भाव जरूरी

वन्य जीवों की हत्या पर प्रतिबंध है। फिर भी वन्य जीवों का शिकार हो रहा है। तस्कर वन्य जीवों के अंगों की तस्करी करते हैं। इन पर खास निगरानी के लिए और अधिक ध्यान देना चाहिए। वन्य जीव जन्तु प्रकृति का उपहार एवं पर्यावरण का अंग हैं। उद्यानों एवं अभयारण्यों को और अधिक विकसित करने के साथ-साथ उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। साथ ही उनके आश्रय स्थलों पर भोजन-पानी की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

-तेजनारायण श्रीवास्तव, गंजबासौदा, मप्र

वृक्षों की कटाई पर रोक लगे

जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए जमीनी योजना बनाई जाए। वृक्षों की अवैध कटाई के कारण घने जंगल साफ होते जा रहे हैं। वृक्षारोपण और पौधरोपण की सरकारी योजनाएं मात्र औपचारिकताएं रहने लगी हैं। वन्य प्राणियों और जीवों के संरक्षण के लिए घने जंगल की आवश्यकता होती है। घने जंगल वृक्षारोपण और पौधरोपण से ही संभव है।

-दीपा देवेंद्र नेनावा, इंदौर

शिकारियों पर अंकुश जरूरी

वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे पहले वनों की कटाई रोकनी चाहिए। वन्य जीव संरक्षण के लिए टीम बनानी चाहिए। शिकारियों पर अंकुश लगना चाहिए। हमें जानवरों के शरीर से बनी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे जानवरों का शिकार बंद हो सके।

-सौम्या, जावद, नीमच

ऐसे कैसे बचेंगे बाघ?

लुप्तप्राय बड़ी बिल्ली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ को दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली होने की प्रतिष्ठा हासिल है। एक बाघ को उसके चेहरे और शरीर पर विशिष्ट नारंगी और काली धारियों से आसानी से पहचाना जा सकता है।

■ दयानिधि

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि हम सभी बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ा सकें। इस दिन का उद्देश्य एक विश्वव्यापी प्रणाली का निर्माण करना है जो बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए समर्पित होगी। बाघों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध आवास का मतलब है कि हम अन्य प्रजातियों और हमारे जंगलों का भी संरक्षण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य के लिए काम कर सकते हैं, जहां इंसान और बाघ शांति से रह सकें।

भारत दुनिया के आधे से अधिक जंगली बाघों का घर है यहां लगभग नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 3925 बाघ रहते हैं। बाघ संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने और वन्यजीवों और लोगों के बीच एक मजबूत बंधन विकसित करने के लिए समारोहों का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 में रूस में 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर के दौरान अस्तित्व में आया था। इन टाइगर रेंज वाले देशों की सरकारों ने 2022 तक प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए संरक्षण को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया था।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। तब यह पाया गया

था कि पिछली शताब्दी में सभी जंगली बाघों में से 97 फीसदी गायब हो गए थे, जिनमें से केवल 3,000 शेष थे। यह खबर नहीं है कि बाघ विलुप्त होने के कगार पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बाघ दिवस का उद्देश्य संख्या को बिगड़ने से रोकना है। पर्यावास का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, शिकार और अवैध शिकार केवल कुछ ऐसे कारक हैं जो बाघों की आबादी में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। इन प्रजातियों के संरक्षण के साथ-साथ, इस दिन का उद्देश्य उनके आवासों की रक्षा और विस्तार करना भी है।

निवास स्थान और जलवायु परिवर्तन के नुकसान के साथ, बाघ तेजी से मनुष्यों के साथ संघर्ष में आ रहे हैं। अवैध शिकार और अवैध व्यापार उद्योग भी एक बहुत ही गंभीर खतरा है जिसका सामना जंगली बाघ करते हैं। बाघ की हड्डी, त्वचा और शरीर के अन्य अंगों की मांग के कारण अवैध शिकार और तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय विलुप्ति हो रही है, जिससे बाघों की आबादी का पुनरुद्धार असंभव के करीब हो गया है।

एक और खतरा जिसने बाघों की आबादी को बुरी तरह से प्रभावित किया है, वह है आवास का नुकसान। दुनिया भर में, हम पहुंच मार्गों, मानव बस्तियों, लकड़ी की कटाई और कृषि के कारण बाघों के आवासों का नुकसान देख रहे हैं। वास्तव में, बाघों के मूल आवासों में से केवल 7 फीसदी ही आज बरकरार हैं। विशेषज्ञों को यह भी चिंता है कि बाघों में आनुवंशिक विविधता की कमी से छोटी आबादी में इनब्रीडिंग हो सकती है। लगातार बढ़ते निवास स्थान के नुकसान का मतलब है कि बाघों और मनुष्यों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। बाघ मानव आबादी में भटक सकते हैं जो लोगों के साथ-साथ इन राजसी बिल्लियों के लिए भी चिंता का विषय है।

क्या है इस दिन का महत्व?

1973 में बाघों को बचाने के लिए एक अनूठी योजना के साथ भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसके शुरुआती सालों में 9 बाघ अभयारण्य थे लेकिन समय के साथ बाघ परियोजना का दायरा काफी बढ़ गया है। बाघ को अभी भी 'लुप्तप्राय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बाघों की आबादी का 93 प्रतिशत तक नुकसान हो गया है और बाघों की संख्या एक सदी पहले 100,000 से कम हो गई। अवैध शिकार और आवास विनाश प्रमुख कारणों में से हैं। विश्व बाघ दिवस मनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के मुताबिक दुनिया भर में केवल 4300 जंगली बाघ ही मौजूद हैं। बाघ अलग-अलग रंगों के होते हैं जैसे सफेद बाघ, काली धारियों वाला सफेद बाघ, काली धारियों वाला भूरा बाघ और गोल्डन टाइगर और उन्हें चलते हुए देखना एक अद्भुत नजारा हो सकता है। अब तक बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर और टाइगर हाइब्रिड ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। बाघ संरक्षण के मामले पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

1973 में बाघों को बचाने के लिए एक अनूठी योजना के साथ भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसके शुरुआती सालों में 9 बाघ अभयारण्य थे लेकिन समय के साथ बाघ परियोजना का दायरा काफी बढ़ गया है। बाघ को अभी भी 'लुप्तप्राय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बाघों की आबादी का 93 प्रतिशत तक नुकसान हो गया है और बाघों की संख्या एक सदी पहले 100,000 से कम हो गई।

बाघों के संरक्षण के लिए कब क्या हुआ?

1973 भारत ने बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। 13 टाइगर रेंज वाले देश 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत में बाघ अभयारण्यों की जानकारी

भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। 2023 की बाघ जनगणना में, भारत की बाघ आबादी 3925 हो गई, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार, बाघों की आबादी की ऊपरी सीमा 3,925 है, जिसमें औसतन 3,682 बाघ हैं, जो 6.1% की उल्लेखनीय वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है।

भारत में बाघ अभयारण्य 2024

भारत में बाघ अभयारण्य : राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रोजेक्ट टाइगर, भारत के 54 बाघ अभयारण्यों का प्रभारी है। दुनिया के 80% बाघ भारत में रहते हैं। 2006 में 1,411 बाघ थे; 2010 तक 1,706 हो गए; 2014 तक 2,226 हो गए; 2018 तक 2967 हो गए और 2023 तक इनकी संख्या बढ़कर 3925 हो गई।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38वी की उपधारा (1) के अनुसार, राज्य सरकार बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सुझाव पर किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करेगी। राज्य द्वारा इस सिफारिश को

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। तब यह पाया गया था कि पिछली शताब्दी में सभी जंगली बाघों में से 97 फीसदी गायब हो गए थे, जिनमें से केवल 3,000 शेष थे। यह खबर नहीं है कि बाघ विलुप्त होने के कगार पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बाघ दिवस का उद्देश्य संख्या को बिगड़ने से रोकना है।

स्वीकार किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्वीकृति और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सुझाव के बिना बाघ अभयारण्य की सीमा में बदलाव नहीं किया जा सकता। जब तक यह सार्वजनिक हित में न हो और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सहमति से कोई राज्य सरकार बाघ अभयारण्य को अधिसूचित नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण बाघ आवास को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत नामित किया गया है, जिसे बाघ अभयारण्यों का मुख्य भाग भी कहा जाता है। कानून के अनुसार, इन क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों या अन्य वन निवासियों के अधिकारों से समझौता किए बिना बाघों के संरक्षण के लिए अछूता रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति के साथ परामर्श करने के बाद ही अधिसूचना जारी करती है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2005 में भारत में बाघों और उनके आवास के संरक्षण के लिए की गई थी। प्राधिकरण निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण रणनीति और कार्य योजना तैयार करना और कार्यान्वित करना
- बाघ अभ्यारण्यों के प्रबंधन की देखरेख करना
- बाघों और उनके आवास पर शोध
- बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना

54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बाघों के लिए एक नया संरक्षित क्षेत्र है, जो देश में सबसे ज़्यादा बाघों वाला राज्य है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का सातवाँ और भारत का 54वाँ टाइगर रिजर्व राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। 2018 में मध्य प्रदेश में 785 बाघ थे, जिससे इसका टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रहा। इस टाइगर रिजर्व का मुख्य क्षेत्र लगभग 1,414 वर्ग किलोमीटर है, जबकि बफर जोन लगभग 925.12 वर्ग किलोमीटर है।

भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है

क्र.सं.	टाइगर रिजर्व	घोषित वर्ष	राज्य
1.	कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व	1973-74	उत्तराखंड
2.	बान्दीपुर टाइगर रिज़र्व	1973-74	कर्नाटक
3.	मानस टाइगर रिजर्व	1973-74	असम
4.	कान्हा टाइगर रिजर्व	1973-74	मध्यप्रदेश
5.	सुंदरबन टाइगर रिजर्व	1973-74	पश्चिम बंगाल
6.	रणथंबोर टाइगर रिजर्व	1973-74	राजस्थान
7.	पलामू टाइगर रिजर्व	1973-74	झारखंड
8.	सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व	1973-74	उड़ीसा
9.	मेलघाट टाइगर रिजर्व	1973-74	महाराष्ट्र
10.	सरिस्का टाइगर रिजर्व	1978-79	राजस्थान
11.	पेरियार टाइगर रिजर्व	1978-79	केरल
12.	इन्द्रावती टाइगर रिजर्व	1982-83	छत्तीसगढ़
13.	बक्सा टाइगर रिजर्व	1982-83	पश्चिम बंगाल
14.	नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व	1982-83	आंध्रप्रदेश
15.	नामदफा टाइगर रिजर्व	1982-83	अरुणाचल प्रदेश
16.	दुधवा टाइगर रिजर्व	1987-88	उत्तर प्रदेश
17.	कलाकड मुंदनथरई टाइगर रिजर्व	1988-89	तमिलनाडु
18.	वाल्मीकि टाइगर रिजर्व	1989-90	बिहार
19.	इंद्रा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व	1992-93	मध्यप्रदेश
20.	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	1993-94	मध्यप्रदेश
21.	टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व	1993-94	महाराष्ट्र
22.	डम्पा टाइगर रिजर्व	1994-95	मिजोरम
23.	पन्ना टाइगर रिजर्व	1994-95	मध्यप्रदेश
24.	भद्रा टाइगर रिजर्व	1998-99	कर्नाटक
25.	पेंच टाइगर रिजर्व	1998-99	महाराष्ट्र
26.	पक्के टाइगर रिजर्व	1999-2000	अरुणाचल प्रदेश
27.	सतपुरा टाइगर रिजर्वनामेरी टाइगर रिजर्व	1999-2000	मध्यप्रदेश

क्र.सं.	टाइगर रिजर्व	घोषित वर्ष	राज्य
28.	नामेरी टाइगर रिजर्व	1999-2000	असम
29.	उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व	2008-09	छत्तीसगढ़
30.	अनामलाई टाइगर रिजर्व	2008-09	तमिलनाडु
31.	काजीरंगा टाइगर रिजर्व	2008-09	असम
32.	सत्कोसिया टाइगर रिजर्व	2008-09	उड़ीसा
33.	डांडेली या काली टाइगर रिजर्व	2008-09	कर्नाटक
34.	अचानकमार टाइगर रिजर्व	2008-09	छत्तीसगढ़
35.	मुदुमलाई टाइगर रिजर्व	2008-09	तमिलनाडु
36.	संजय दुबरी टाइगर रिजर्व	2008-09	मध्यप्रदेश
37.	पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व	2008-09	केरल
38.	नागरहोल टाइगर रिजर्व	2008-09	कर्नाटक
39.	सह्याद्री टाइगर रिजर्व	2009-10	महाराष्ट्र
40.	बिलिगिरि रंगनाथ टाइगर रिजर्व	2010-11	कर्नाटक
41.	कावल टाइगर रिजर्व	2012-13	तेलंगाना
42.	सत्मंगलम टाइगर रिजर्व	2013-14	तमिलनाडु
43.	नावेगाँव नगजीरा टाइगर रिजर्व	2013-14	महाराष्ट्र
44.	मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व	2013-14	राजस्थान
45.	अमराबाद टाइगर रिजर्व	2014	तेलंगाना
46.	बोर टाइगर रिजर्व	2014	महाराष्ट्र
47.	पीलीभीत टाइगर रिजर्व	2014	उत्तर प्रदेश
48.	राजाजी टाइगर रिजर्व	2015	उत्तराखंड
49.	कमलांग टाइगर रिजर्व	2016	अरुणाचल प्रदेश
50.	ओरांग टाइगर रिजर्व	2016	असम
51.	श्री विल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व	2021	तमिलनाडु
52.	रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व	2021	राजस्थान
53.	गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व	2021	छत्तीसगढ़
54.	रानीपुर टाइगर रिज़र्व	2022	उत्तर-प्रदेश

भारत के बाघ अभयारण्यों का महत्व

20वीं सदी की शुरुआत से ही बाघों की संख्या में कमी आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, बाघों ने अपने पिछले क्षेत्र का 93% हिस्सा खो दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दुनिया के 80% से करीब बाघ हैं। भारतीय संस्कृति में बाघों को बहुत महत्व दिया जाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में बाघ इसकी विविधता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। बाघों के आवास का संरक्षण और सुरक्षा कई तरह की पारिस्थितिकी सेवाओं को लाभ पहुँचाती है, जिसमें नदियों और अन्य जलापूर्तियों का संरक्षण, मिट्टी के कटाव में कमी और परागण और जल स्तर को बनाए रखने जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं में वृद्धि शामिल है।

भारत के बाघ अभयारण्यों पर खतरे

बाघ संरक्षण में सबसे बड़ी बाधा अभी भी अवैध शिकार है। चूँकि बाघ का बाज़ार में बहुत ज़्यादा मूल्य है, इसलिए पेशेवर शिकारी, स्थानीय शिकारी, जाल बिछाने वाले, समुद्री डाकू और किसान सभी उनका शिकार करते हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाघ और अन्य प्रजातियाँ अपनी कमर कसने और ठंडे स्थानों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो गई हैं, जिससे औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। व्यापक वन आग जैसी प्राकृतिक आपदाएँ एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं। खेती, बुनियादी ढाँचे के विस्तार और मवेशियों को चराने के लिए बाघों के आवासों पर मानव अतिक्रमण के बारे में चिंता जताई गई है। सड़कों और रेलमार्गों सहित परिवहन बुनियादी ढाँचे के विकास से बाघों के आवासों को गंभीर खतरा है।

भारत में बाघ अभयारण्य संरक्षण योजना

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के अनुसार v।(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र के उचित प्रबंधन के लिए, राज्य सरकार एक बाघ संरक्षण योजना विकसित करेगी, जिसमें स्टाफ विकास और तैनाती योजना भी शामिल होगी।

-बाघ रिजर्व का संरक्षण तथा बाघों, सह-शिकारियों और शिकार जानवरों की व्यवहार्य जनसंख्या को बनाए रखने के लिए बाघ रिजर्व के लिए विशिष्ट आवास इनपुट का प्रावधान।

-पारिस्थितिकी अनुकूल भूमि उपयोग जो बाघ संरक्षित क्षेत्रों और एक संरक्षित क्षेत्र (पीए) को दूसरे पीए या बाघ संरक्षित क्षेत्र से जोड़ने वाले क्षेत्रों में फैले हुए आवास और गलियारे प्रदान करते हैं।

-बाघ संरक्षण की वानिकी आवश्यकताएं पारंपरिक वन प्रभागों या बाघ रिजर्वों के निकटवर्ती प्रभागों की गतिविधियों से असंगत नहीं हैं।

-54 बाघ रिजर्वों में से 35 के टीसीपी को एनटीसीए की मंजूरी मिल गई है, जबकि अन्य रिजर्वों की तैयारी या समीक्षा चल रही है।

बाघ संरक्षण फाउंडेशन

बाघ संरक्षण संघीय सरकार और राज्यों के बीच एक साझा कर्तव्य है जिसके लिए समन्वित, रचनात्मक और समयबद्ध प्रयासों की आवश्यकता है। बाघ राज्यों को समर्थन देने के लिए चल रही प्रोजेक्ट टाइगर योजना को अधिक धन देकर अद्यतन करने के साथ-साथ, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किए हैं। इस स्तर पर, उचित संस्थागत समायोजन भी किए गए हैं। ■

हथेली पर जान, कंधों पर जंगल बचाने का जिम्मा

विश्व रेंजर दिवस उन सभी रेंजर के काम की सराहना और सम्मान देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना जंगलों के खतरों के बीच उसकी हर चीज को बचाने का काम करते हैं। पहला विश्व रेंजर दिवस 2007 को मनाया गया था। यह हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। प्रकृति को बचाने और उसके रख-रखाव में पार्क रेंजर्स के योगदान का सम्मान करने के लिए इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन ने इस दिन की शुरूआत की थी। इस दिन ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले रेंजरों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

रेंजर्स कौन हैं?

एक रेंजर एक ऐसा व्यक्ति होता है, जिसे पार्कों और अन्य प्राकृतिक जगहों के रख-रखाव और रखवाली का जिम्मा सौंपा जाता है। फुटपाथ, पुल, स्टाइल और गेट बनाए रखने के लिए रेंजर्स आमतौर पर स्टाफ कर्मियों और वॉलियंटर्स के साथ दिन-रात काम करते हैं। वे अपना ज्यादातर समय बाहर बिताते हैं और नेशनल पार्क अथॉरिटी की आंखों और कानों के रूप में काम करते हैं।

इतिहास

इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना 1992 में हुई थी। जिसमें स्कॉटिश कंट्रीसाइड रेंजर्स एसोसिएशन, कंट्रीसाइड मैनेजमेंट एसोसिएशन और यूएस एसोसिएशन ऑफ नेशनल पार्क रेंजर्स, जो वेल्स और इंग्लैंड में रेंजर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये एक साथ आए और इस प्रकार इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समझौते का उद्देश्य हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए दुनिया भर में रेंजर्स द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य के लिए सार्वजनिक समर्थन और समझ को बढ़ाना था। पहला विश्व रेंजर दिवस 2007 को मनाया गया था, जब आईआरएफ की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ का प्रतिनिधित्व किया गया था।

वर्ल्ड रेंजर्स डे का महत्व

'विश्व रेंजर दिवस' एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह पार्क या फॉरेस्ट के उन रेंजरों को श्रद्धांजलि देता है जो जंगलों, प्राकृतिक पार्कों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कई वन रेंजर वाइल्डलाइफ एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं या शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ■

वास्तुकला के जानदार शुभेंदु

■ आनंद सिंह

दूर से देखेंगे तो आप भी नहीं समझ पाएंगे कि आप लोहा-लक्कड़ से कलाकृति तैयार करने वाले से मिलने जा रहे हैं। लेकिन, जब आप उनसे बात करेंगे, उनके टैलेंट को देखेंगे तो शर्तिया दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। अपने घर में, टी-शर्ट और हाफ पैंट में जब शुभेंदु बिस्वास जी ने अपने संघर्ष की दास्तां सुनाई तो मन में उनके प्रति संवेदना तो पैदा हुई ही, सलाम करने का भी दिल किया। इसके बरक्स 63 साल की आयु में भी किसी युवा की भांति मनोयोग से कलाकृतियों को बनाते हुए देखेंगे तो यही महसूस होगा कि दादा में गजब की कल्पनाशीलता है और कला को जीने का जज्बा भी।

खास जमशेदपुर में जन्में शुभेंदु दा के पिताजी टाटा स्टील में कार्यरत थे। मूलतः शुभेंदु दा का परिजन रहने वाले तो हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के लेकिन शुभेंदु दा का जन्म टाटा में ही हुआ। उन्होंने कला की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली है। केबुल कंपनी में काम कर रहे थे और जीवन चल रहा था। अचानक केबुल कंपनी बंद हो गई और शुभेंदु दा समेत कई लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी के आलम में ही टाटा जू के निदेशक रहे श्री मोती शंकर जैन से उनकी मुलाकात हुई और 1998 में उन्होंने सबसे पहले लोहे के रॉड से 18-18 फीट के दो जिराफ बनाए। उनकी इस कलाकृति को जैन साहब ने खूब सराहा। उसे टाटा जू में स्थापित भी किया गया। यही उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट था। उसके बाद शुभेंदु दा ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वह फ्रीलांसर हैं। काम करते हैं पर बंध कर नहीं। उनका कोई गुरु नहीं है। वह कहते हैः वास्तुकला के क्षेत्र में मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने खुद से ही जो सीखना था, सीखा। अब गुरु की कमी महसूस होती है। मेरी किसी भी कलाकृति में मैं कंपोजिशन और एडिटिंग में फंस जाता हूं। यही वजह है कि मैंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। वक्त, हालात और परिस्थितियों ने शुभेंदु दा को बेशक कोई गुरु नहीं दिया पर उनकी कलाकृतियां लंबे अर्से तक शुभेंदु दा को इज्जत बख्शती रहेंगी। आमीन। ■

गौर से पढ़िए

युगांतर प्रकृति

हमारे 20 सवालों के जवाब दीजिए

और, पाइए आकर्षक पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार-501 रुपये नकद

द्वितीय पुरस्कार-351 रुपये नकद

तृतीय पुरस्कार-251 रुपये नकद

नियम और शर्तें

1. आपको युगांतर प्रकृति का यह अंक बेहद गौर से पढ़ना है।
2. इसी अंक में प्रकाशित विभिन्न लेखों से हम 20 सवाल करेंगे। उन 20 सवालों के जो सही-सही जवाब देंगे, उन्हें नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
3. अगर 20 में से 20 सवालों के सही जवाब कई लोग देते हैं तो पुरस्कार उन्हें मिलेगा, जिनका जवाब सबसे पहले आएगा। यानी, जो पहले जवाब देंगे, वो पुरस्कार के हकदार होंगे।
4. जवाब सिर्फ ई-मेल के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे। ई-मेल आईडी है yugantarprakriti@gmail.com
5. कृपया अपनी प्रविष्टि के साथ अपना नाम, घर का पूरा पता, मोबाइल नंबर, एक रंगीन फोटो, बैंक खाता अथवा यूपीआई आईडी अथवा क्यूआर कोड अवश्य भेजें।
6. विजेताओं को धनराशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी और अगले अंक में उनकी तस्वीर के साथ उनके नाम की घोषणा की जाएगी।
7. इस प्रतियोगिता में कोई भी हिस्सा ले सकता है। उम्र, लिंग का कोई बंधन नहीं है।
8. इस प्रतियोगिता में युगांतर प्रकृति परिवार के सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते।
9. निर्णायक का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। उसे किसी भी सूरत में, कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

पढ़ो और पुरस्कार पाओ (3)

1. वन महोत्सव किस तारीख से किस तारीख के बीच मनाया जाता है?
2. सबसे पहले भारत में वन महोत्सव कब मनाया गया था?
3. दामोदर बचाओ आंदोलन कब और किसने शुरू किया था?
4. दामोदर बचाओ आंदोलन के कितने वर्ष हो गये?
5. कार्बन फुटप्रिंट को कम करने से क्या होगा?
6. आखिर पारा क्यों बढ़ रहा है। कोई दो कारण बताएं?
7. क्यों मनाया जाता है प्लास्टिक मुक्ति दिवस?
8. सबसे पहले किस देश ने प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान छेड़ा था?
9. भारत में प्लास्टिक बैग्स खाकर किस बैग की सबसे ज्यादा मौत होती है?
10. झारखंड के कितने स्थानों पर नदियों की पूजा-अर्चना की गई?
11. वन्य जीव संरक्षण कानून क्या है?
12. भारत में बाघों की कुल कितनी संख्या है?
13. भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं?
14. भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है?
15. कब मनाया जाता है विश्व रेंजर्स दिवस और क्यों?
16. वास्तुकलाविद श्री शुभेंदु ने सबसे पहली कलाकृति किसके लिए बनाई थी?
17. शुभेंदु विश्वास जी के गुरु का नाम क्या है?
18. विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
19. प्लास्टिक बैग्स कितने साल धरती में रह कर भी खत्म नहीं होंगे?
20. पर्सनल नेचर कंजर्वेशन क्या है?

युगांतर प्रकृति

प्रकृति एवं पर्यावरण को समर्पित मासिक पत्रिका

प्रकृति, पर्यावरण, सामाजिक उत्थान, क्षमता संवर्धन शोध एवं विकास तथा राष्ट्रीय गौरव के लिए समर्पित संस्था

विज्ञापन दर

1. बैक पेज	1,00,000/-
2. इनसाइड कवर पेज	90,000/-
3. फुल पेज	75,000/-
4. हाफ पेज	50,000/-

सदस्यता शुल्क

1. वार्षिक	250/-
2. पंचवर्षीय	1,200/-
3. दस वर्षीय	2,400/-
4. आजीवन	5,000/-

भुगतान संबंधित निर्देश

भुगतान कृपया चेक/डीडी/आरटीजीएस द्वारा Nature Foundation के नाम से करे

Account Details
Nature Foundation
Account No. : 3611740792
Kotak Mahindra Bank
IFSC Code : KKBK0005631

विज्ञापन संबंधित निर्देश

कृपया अपना विज्ञापन पीडीएफ अथवा जेपीजी फॉर्मेट में yugantarprakriti@gmail.com ईमेल या डाक द्वारा युगांतर प्रकृति, सेंट्रल स्कूल के समीप, सिद्रोल, नामकुम, रांची - 834010 के पते पर भेजे.

विशेष सहयोग

'युगांतर प्रकृति' का प्रकाशन नेचर फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, जो प्रकृति एवं पर्यावरण को समर्पित एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है. पत्रिका के सुगम प्रकाशन हेतु Nature Foundation के नाम चेक अथवा डीडी के माध्यम से यथासंभव आर्थिक सहयोग आमंत्रित है.

झारखण्ड उच्च न्यायालय

ई-सेवाओं के लिए QR निर्देशिका

निम्नलिखित सेवाओं हेतु एवं वेबसाइट पर जाने हेतु क्यू.आर. कोड को अपने स्मार्ट फोन से स्कैन करें

झारखण्ड उच्च न्यायालय
झारखण्ड उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट

झालसा
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की आधिकारिक वेबसाइट

न्यायिक अकादमी झारखण्ड
न्यायिक अकादमी झारखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट

झारखण्ड के जिला अदालत
झारखण्ड के जिला अदालत के वेबसाइट को देखने के लिए

उच्च न्यायालय का आभाषी दौरा
नवनिर्मित उच्च न्यायालय का आभाषी दौरा

डिस्प्ले बोर्ड
न्यायालयों में चल रहे सुनवाई की स्थिति जानने हेतु

वाद सूची
झारखण्ड उच्च न्यायालय की संपूर्ण वाद सूची देखने के लिए

मामले की स्थिति/ आदेश और निर्णय
झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश और निर्णय की जानकारी हेतु

ऑनलाइन अभिप्रमाणित प्रतियाँ
आदेश एवं निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति हेतु ऑनलाइन आवेदन

ई–भुगतान
नए वाद एवं मौजूदा मामलों के लिए डिजिटल भुगतान

ऑनलाइन कोर्ट शुल्क
वादी/अधिवक्ता द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने हेतु

ई–न्यायालय सेवाएँ
सर्वोच्च न्यायालय की ई–कमिटि द्वारा प्रदान की गई ई–न्यायालय सेवाएँ

ई–फाइलिंग
ऑनलाइन केस दर्ज करने हेतु

ई–एस.सी.आर.
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के छपने योग्य निर्णयों को ऑनलाइन खोजने के लिए

तकनीकी टीम
सी.पी.सी. कार्यालय,
झारखण्ड उच्च न्यायालय
द्वारा तैयार